640वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 26 अप्रैल 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 640वीं बैठक दिनांक 26/04/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 9240/2022 Shri K. Prabhakar Rao, Authorised Signatory, Bachharwara, Tehsil - Badwara, Dist. Katni, MP Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 5.50 ha. (58607 Tonne per annum) (Khasra No.10, 127, 128, 129), Village - Jamuniya, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP)</u>

This is case of Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No.10, 127, 128, 129), Village - Jamuniya, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP) 5.50 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 581वीं दिनांक 24/06/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 26/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री आर.के. अग्रवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के बीच में एक पुराना पिट है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बाताया कि उनको लीज इसी स्थिति में मिली है तथा पूर्व मे ये पिट प्रोसेपेक्टिंग के लिये किये गये थे, खनिज के विवरण माईन प्लान में दर्ज किये गये है तथा सरफेस मेप पर गड्ढा दिखाया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खसरा न0. 10 शा0. चारागाह के रूप में दर्ज है एंव निजि शेष खसरा न0. 127, 128, 129 निजि भूमि के रूप मे दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया

कि खनन् योजना के को–आर्डिनेट के बिंदु 1, 14, व 15 जो वन सीमा के 250 मी0. के अंदर है। एकल प्रमाण–पत्र दिनांक 24/05/2022 के अनुसार वन समिति की बैठक दिनांक 03/03/2017 के द्वारा वन सीमा की ओर चैनलिंग फेंसिंग कराये जाने की शर्त पर अनापत्ति प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। (परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेंत्र में 34 पेड़ लगे है जिसमें से 04 पेड़ काटे जायेगे तथा उनके एवज् में 40 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे)। खदान के दक्षिण एंव उत्तरी दिशा मे जहां पेड पौधे लगे है उसे नॉन माइनिंग जोन के रूप मे (0.99 हे.) जिसे प्रस्तुतीकरण मे प्रस्तावित किया गया है। खदान के पूर्व दिशा में 350 मीटर पर आबादी है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आबादी की तरफ तीन पक्तियों में वृक्षारोपण किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, धूल मिट्टी न उड़े इसके लिये जल छिड़काव की व्यवस्था, वृक्षारोपण, मानव/पशुधन की हानि न हो, बडा विस्फोट न किया जाये, ब्लास्टिंग का समय निर्धारित किया जाये, खदान की फेंसिग हो, गांव में सोलर लाईट व पानी व्यवस्था एवं गांव में विकास कार्य । इत्यादि बिन्दुओं पर सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर मे समुचित बजट प्रावधान के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न. 29 के सरल क्रमांक 160 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता डोलोमाईट – 58,607 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 27.50 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 06.30 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि(रू.में)
गाँव जमुनिया के शासकीय प्राथमिक स्कूल में एक सोलर लाइट लगाई जाएगी	30,000/–
गाँव जमुनिया के ग्रामवाशियों के लिए साल में दो बार रक्तचाप, मधुमेह और मौखिक स्वच्छता की जाँच के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगवाया जायेगा	30,000/–
गाँव जमुनिया में एक हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना करवा दिया जाएगा	40,000/–

ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव जमुनिया के विकास कार्य हेतु सहायता	20,000/–
योग	1,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 7110 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन (निजी भूमि खसरा नंबर 127, 128,129)	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, मुनगा, सागोन और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	1000
	(शासकीय भूमि खसरा नंबर 10)	सिस्सू, पीपल, कस्टार, खमेर, चिरौल बबूल, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	260
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, बरगद, चिरौल, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, इत्यादि।	460
3	50 मीटर तक वन सीमा से बफर जोन	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	2000
4	जमुनिया के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवाए गुलमोहर , मोलश्री इत्यादि।	20
5	गाँव जमुनिया, मलहान, आमगांव बड़ागांव गांव के ग्रामवासीयों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, मुनगा इत्यादि।	3,370
6	चारागाह के विकास हेतु	चारागाह हेतु फोडर ट्रीज ग्राम पांचयत के माध्यम से लगाये जायेंगे। जिसकी लागत ई.एम.पी. में दी गई है ।	
		योग	7110

2. <u>Case No 9258/2022 M/s Akash Granite, R/o Indira Nagar, Karbai, Dist. Mahoba, UP - 210424 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (1,20,000 cum per annum) (Khasra No. 499), Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) Environment Consultant : Globus Environment Engineering Service, Lucknow.</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 499), Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist.

Chhatarpur (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

दिनांक 13/07/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री आंनद गुप्ता, मेसर्स ग्लोबस इंनवायरमेंट इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ, (उ.प्र) उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 2474 दिनांक 29/07/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 19.105 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर शेड है, पश्चिम दिशा में 280 मीटर पर रोड़ तथा दक्षिण दिशा में 300 मीटर पर मंदिर है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान बीच से खुदी हुई दिख रही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खुदी होने के कारण टॉर वॉयलेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान का मध्य भाग खुदा हुआ है जहॉ पर गूगल इमेज अनुसार खनन् कार्य वर्ष 2014 से 2020 तक बिना पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के खनन् कार्य किया गया है ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 585वीं दिनांक 13/07/2022 में टॉर वॉयलेशन (TOR-Violation) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज सेक की 640वीं बैठक दिनांक 26/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

3. <u>Case No 8248/2021 M/s A.K.Stone Products, Partner, Shri Ashish Kumar Singh, R/o, Sector-08, Rajkumari Nagar, Ayyappa Mandir, Obra, Dist. Sonbhadra, UP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.90 ha. (60004 cum per annum) (Khasra No. 50, 51, 52, 53, 54, 40, 41, 45, 46, 127, 130, 132), Village - Hardi, Tehsil - Sihawal, Dist. Sidhi (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 50, 51, 52, 53, 54, 40, 41, 45, 46, 127, 130,

132), Village - Hardi, Tehsil - Sihawal, Dist. Sidhi (MP) 4.90 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 487वीं दिनांक 05/03/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 26/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री आशिष सिंग (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम हरियाणा उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कुल 15 पेड़ लगे है जिसमें से कोई भी पेड़ काटा नही जायेगा। पूर्वी दिशा मे 170 मी. की दूरी पर नहर होने की वजह से 40 मी. का सेडबेक दर्शाते हुये उसे नॉन माइनिंग जोन के रूप प्रस्तावित किया गया है। खदान क्षेत्र मे 02 कच्चे मकान स्थित है जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उक्त कच्चे मकान स्वंय के है जिसे खदान में कार्य करने वाले श्रमिको के उपयोग हेतु लिया जावेगा। पी.एम. 10 (129.2) एवं पी.एम. 2.5 (67.4) की सांद्रता निर्धारित मानक सीमा से अधिक होने के संबंध मे परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र के आस–पास लगभग 04 क्रेशर प्लांट संचालित है वहां पर पर्यावरण अनुकुल कार्य न किये जाने के वजह से वेल्यू बढ़ी हुई है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

1. खदान क्षेत्र मे 02 कच्चे मकान स्थित है जिसके संबंध में भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज ।
2. गूगल इमेज अनुसार खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है। अतः इनकी ट्री इंवेन्ट्री प्रजाति, गोलाई एंव संख्या दर्शाते हुये प्रस्तुत करे।
3. खदान क्षेत्र के 500 मी. की परिधि में स्थित पर्यावर्णीय संवेदनशीलता दर्शाते हुये नॉन माइनिंग एरिया सर्फेस मेप मे प्रस्तुत करे।
4. जनसुनवाई के दौरान श्री अमरनाथ मिश्रा द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी तत्संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा तर्कसंगत प्रस्ताव /जवाब ।
5. पर्यावर्णीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ई.एम.पी./सी.ई.आर. प्रस्तुत करें ।

4. Case No 7893/2020 M/s Sagar Stone Industries, 765/1, Napier Town, Dist. Jabalpur, MP Prior Environment Clearance for Capacity Expansion of Existing Benefication Plant from 90000 TPA to 480000 TPA at Village - Dhamki, Tehsil - Sihora, DIst. Jabalpur (MP), Category:2(b).

This is case of Prior Environment Clearance for Capacity Expansion of Existing Benefication Plant from 90,000 TPA to 4,80,000 TPA at Village - Dhamki, Tehsil - Sihora, DIst. Jabalpur (MP).

This is an ore beneficiation project comprising beneficiation of Iron Ore. The project is covered under the provisions of EIA notification as item no. 2 (b), hence requires prior EC from SEIAA. Application submitted by the PP was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in the SEAC 465th meeting dated 07/11/2020 wherein ToR was recommended. The TOR was approved in 645th SEIAA meeting dated 27-11-20. TOR issued on 09-12-2020 valid till 06/11/2024.

The EIA was presented by by Env. Consultant Shri Umesh Mishra from M/s. Creative Enviro Services, Bhopal along with PP's Shri Prashan Yadav, Unit Head, M/s Sagar Stone Industries. During presentation PP submitted that M/s Sagar Stone Industries proposes to expand the existing iron ore beneficiation plant from 90000 TPA to 4,80,000 TPA at Dhamki,Tahsil-Sihora District –Jabalpur in the state of MP. The Low Grade of iron ore fines coming from nearby captive mines will be the main input to the proposed expansion of Beneficiation plant which will beneficiate the ore from a level of 50% Fe and will be converted to Iron ore Concentrate 63% Fe. It is possible to prepare quality Iron Ore Concentrate from the iron ore fines with yield of 60% to 70%. Total land in possession is 12 acres which has been kept for beneficiation and allied activity. PP discussed Environmental Clearance Compliance Status vide letter Reference no. F.No. 429/SEIAA/11 dated 27.08.2011for the period of Oct. 2021 To March 2022 and stated that 300 numbers of plants have been planted as a part of green belt along the plant boundary and to meet out the aspect of carbon foot print, Solar Power unit of 5.5 MW is proposed. PP further submitted following about the project:

- Solid waste from the beneficiation process is ideally suitable for bricks, tiles & blocks making and would be marketed to local brick maker.
- The process is/will be a zero discharge process. All the settling tanks and tailing pond is/will have LDPE / ERW lined RCC bed to prevent percolation. There is/will be three such tanks and is/will be used alternately so as to have sufficient time for silt settlement.

- Settled silt will be scrapped out by machine regularly and dumped on the waste stock yard.
- All the stock yards is/will provided with garland canal leading to tailing pond. Scrapped solids is/will be sold to brick manufacturers, for making paving blocks, to cement industries and for back filling of mines.
- Zero discharge condition is/will be maintained. PTZ camera with connectivity to server of MPPCB has been provided to monitor the condition Ground water table is anticipated to be rise by creation of water harvesting structure and water body within mine area

The committee after deliberation observed that the EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC for Capacity Expansion in for Capacity Expansion of Existing Beneficiation Plant from 90,000 TPA to 4,80,000 TPA at Village - Dhamki, Tehsil - Sihora, DIst. Jabalpur (MP), Category: 2(b) Mineral Beneficiation Projects subject to the following special conditions:

(A) Statutory compliance:

1. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).
2. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time & permission of competent authority if ant tree falling is to be carried out.
3. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

(B) Air quality monitoring and preservation

1. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986.
2. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS.

3. The DG sets shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
4. DG exhaust will be discharged at height stipulated by CPCB.
5. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 608(E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be followed.
6. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 161h November, 2009 shall be complied with.

(C) Water quality monitoring and preservation

1. About 800 M3/hr process water is required for treating feed out of which 760 m3/hr can be recycled , Hence water requirement will be 40 M3/hr. There shall be no effluent let out from the Beneficiation Plant. Water from the Thickener & CVDF & Pressure Filter is also reclaimed and Recirculating water in the process. Total water requirement is about 40 M3/hr which shall be met through accumulated water in mines and settling tank . Recycled water shall be used for dust suppression, beneficiation process, green belt suppression for project. Prior permission shall be obtained from the concerned regulatory authority/CGWA (If applicable) in this regard.
2. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent (if applicable) , the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
3. Adhere to 'Zero Liquid Discharge and No industrial effluent from the unit shall be discharged outside the plant premises. PP should also install Internet Protocol PTZ camera with night vision facility along with minimum 05X zoom and data connectivity must be provided to the MPPCB's server for remote operations.
4. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
5. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
6. The Company shall harvest rainwater from the roof tops of the buildings and storm water drains to recharge the ground water and utilize the same for different industrial operations within the plant.

7. Dedicated power supply shall be ensured for uninterrupted operations of treatment systems.

(D) Noise monitoring and prevention

1. Acoustic enclosure shall be provided to DG sets for controlling the noise pollution.
2. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
3. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

(E) Energy Conservation measures

1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.
2. To meet out the aspect of carbon foot print, Solar Power unit of 5.5 MW shall be installed.

(F) Waste management

1. From beneficiation plant, tailing shall be generated 238,000 TPA on dry basis with 15% moisture. Tailing thickener & pressure filter shall be provided. The solid tailings to be used for Bricks manufacturing, land filling/ filling up of abandoned mines.
2. Thus, comprehensive utilization of tailings and water will be efficient, economical, socially beneficial to improve environment.
3. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
4. Hazardous wastes such as used oil, discarded drums, used carbon etc shall be directly sent to CTSDF, Dhar.
5. If any Flammable, ignitable, reactive and non-compatible wastes should be stored separately and never should be stored in the same storage shed.
6. Automatic smoke, heat detection system should be provided in the sheds. Adequate fire fighting systems should be provided for the storage area.
7. In order to have appropriate measures to prevent percolation of spills, leaks etc. to the soil and ground water, the storage area should be provided with concrete floor of inert material or steel sheet depending on the characteristics of waste handled and the floor must be structurally sound and chemically compatible with wastes.
8. Measures should be taken to prevent entry of runoff into the storage area. The Storage area shall be designed in such a way that the floor level is at least 150 mm above the maximum flood level.

9. The storage area floor should be provided with secondary containment such as proper slopes as well as collection pit so as to collect wash water and the leakages/spills etc.
10. Recent MSDS of all the chemicals used in the plant be displayed at appropriate places.
11. Proper fire fighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.
12. All the storage area of raw materials/products shall be fitted with appropriate controls to avoid any spillage / leakage. Bund/dyke walls of suitable height shall be provided to the storage tanks.
13. Log-books shall be maintained for disposal of all types hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.
14. The company shall undertake waste minimization measures as below:
    a. Metering and control of quantities of active ingredients to minimize waste.
    b. Reuse of by-products from the process as raw materials or as raw material substitutes in other processes.
    c. Use of automated filling to minimize spillage.
    d. Use of Close Feed system into batch reactors.
    e. Venting equipment through vapour recovery system.
    f. Use of high pressure hoses for equipment clearing to reduce wastewater generation.

(G) Green Belt

1. As proposed total 4 acres will be covered with the good green belt. The green belt of 5 m width will be developed mainly along the periphery and road side. Selection of plant species shall be as per the CPCB guide lines in consultation with the State Forest Department. Green Belt Development Plan shallbe carried out as per following plan:

Year	Location	Name of trees	Area (acre)	Number of Plants
1st Year	Along the plant boundary, internal road	Neem, Mango, Gulmohar, Anwla, Sita Ashok, Amaltas Khamer, Melia azedaracha	1.50	1430 +125 (Along T/road)
2nd Year	Along the plant boundary, internal road (plant size more then 01 meter)	Neem, Mango, Gulmohar, Anwla, Sita Ashok, Jungle jalebi, Amaltas Khamer, Melia azedaracha	1.50	1245 +125 (Along T/road)
1st year	Village distribution at village Bamhori	Neem, Mango, Jamun, Imli, Jam, Awala etc and other local spices	-	1000
Total			4.00/ 1.6187ha	4600+ 250 (Along T/road) inclusive of existing plantation

2. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. PP will also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.
3. PP shall also develop green belt over community places in consultation with gram panchayat

(H) Safety, Public hearing and Human health issues

1. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
2. The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Fire fighting system shall be as per the norms.
3. The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
4. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.
5. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
6. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
7. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

(I) EMP& Corporate Environment Policy

1. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and or

shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

2. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
3. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
4. The proposed EMP cost is Rs. 54.25 Lakhs as capital and 25 Lakhs /year as recurring cost.
5. For this project, PP has proposed Rs 16.50 Lakhs as Corporate Environment Responsibility (CER) for various activities as follows:

Details of Existing CER Activities	
Activities	**Amount Incurred**
Drinking water supply	1.50 Lakh
Medical Camp & Medicine Distribution	2.00 Lakhs
Village road repairing	2.50 Lakh
Social Recreational Activity	1.50 Lakh
Need based Funds to Gram Panchayat	2.00 Lakh
Local Hospital for covid Care Instruments	1.00 Lakh
Girls toilet with basic facility at Govt. Hr. Sc. School, Gandhigram	5.00lakh
One hand pump at village Dhamki	1.00lakh
Total	**16.50 lakh**

6. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

7. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

J. Miscellaneous

1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
5. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. In case of deviations or alterations in the project proposal from those submitted to this Ministry for clearance, a fresh reference shall be made to the Ministry to assess the adequacy of conditions imposed and to add additional environmental protection measures required, if any
6. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

5. Case No 9819/2023 M/s MKC Infrastructure Limited, Authorized Signatory Shri Dharmendra Mehta, R/o Shiv Nagar Anjar, Kutch (Gujrat), Prior Environment Clearance for Antraliya Stone & M-Sand Quarry in an area of 3.900 ha. (Stone-25000 & M-Sand-10000 Cum per annum) (Khasra No. 157/1) Village-Antraliya, Tehsil-Suwasra, District-Mandsaur (MP) (FoR- Temp. Permit).

This is case of Stone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 157/1) Village-Antraliya, Tehsil-Suwasra, District-Mandsaur (MP) 3.900 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री धर्मेद्र मेहता ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2648 दिनांक 25/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि खदान क्षेत्र में मिट्टी को स्क्रेप किया गया है। खदान क्षेत्र के उत्तर–पश्चिम दिशा में 410 मीटर सोलर प्लॉट स्थापित है, पूर्व दिशा में 170 मीटर एवं दक्षिण दिशा 270 मीटर पर प्राकृतिक नाला है तथा पश्चिम दिशा में कुछ प्रस्तावित पक्का रोड़ दिख लगभग 400 मीटर पर दिखाई दे रही है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में 15 पेड़ लगे है जिनमें से 03 काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज् में 30 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमाक 503 दिनांक 02/03/23 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनन् एवं परिवहन अनुज्ञा में सभी प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने के उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उत्खनिपट्टों को सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 25,000 मी^{3} प्रति वर्ष एवं एम–सेड – 10,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.33 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू.02.15 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि(रू.में)
ग्राम अंत्रालिया में पानी की सुविधा हेतु हैंडपंप लगवाने का कार्य किया जावेगा उसके आस पास कॉन्क्रीटिंग करवाकर पानी कि निकासी के लिए उचित व्यवस्था की जावेगी ।	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव, फेसिग तथा रख–रखाव के साथ प्रथम वर्ष मे अनिवार्य रूप से किया जाये एंव रखरखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को दी जाये) कम से कम 4680 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– *खमेर, नीम, चिरौल, पीपल, सिस्सू ,बबूल, जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोल* आदि।	960
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– *नीम, खमेर, सिस्सू, पीपल, चिरोल, पुत्रंजीवा, करंज, कदम्ब* आदि।	270
3	ग्राम अंत्रालिया के नजदीक स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कचनार, कदम्ब, चिरोल, नीम, बरगद, पीपल, पुत्रंजीवा आदि।	50
4	ग्राम अंत्रालिया के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– मूंगा, आम, संतरा , जामुन, सीताफल, कटहल, संतरा आदि।	3430
		योग	4680

6. <u>Case No 9820/2023 Shri Vilas Akram Zure , M/s GHV (India) Pvt. Ltd., AML Center 1, Mahakali Caves Road, Near Traveller Hotel, Near Paper Work Factory, Andheri East, Mumbai (MH)-458001, Prior Environment Clearance for Morghadi Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (1,32,392 Cum per annum) (Khasra No. 343, 345, 346, 347) Village-Morghadi, Tehsil-Punasa, District-Khandwa (M.P.). (Temp. Permit).</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 343, 345, 346, 347) Village-Morghadi, Tehsil-Punasa, District-Khandwa (MP) 2.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विलास अकरम जुरे (ऑन लाईन) ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति को अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में आवेदक का नाम वेवसाईट पर त्रृटिवंश गलत अंकित हो गया था जिसे परियोजना प्रस्तावक ने वेवसाईट पर सुधार कराकर उसकी कॉपी प्रस्तुतीकरण में शामिल की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1675 दिनांक 29/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 5.0 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है, जिसमें एक कच्चा रोड़ उत्तर दिशा में 137 मीटर, एक पक्का रोड़ पूर्व दिशा में 342 मीटर पर, उत्तर दिशा में 130 मीटर एवं दक्षिण में 352 मीटर पर नहर स्थित है। खदान क्षेत्र से उत्तरी– पश्चिमी दिशा मे 100 मी. एंव दक्षिणी–पूर्वी दिशा मे 125 मी. पूर्वी–पश्चिमी की दूरी हाई टेंशन लाईन निकल रही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेंत्र में 07 पेड़ लगे है जिसमें से 01 पेड़ काटे जायेगे तथा उनके एवज् में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 200 मीटर तक रॉक ब्रेकर से खनन क्षेत्र मे कार्य किया जावेगा उसके पश्चात् ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का शपथ–पत्र की कॉपी प्रस्तुतीकरण के दौरान दिखाई गई। गूगल इमेज देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 500 मीटर की परिधि में उत्तर–पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में दो अन्य खदाने परिलक्षित हो रही है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया यह पुरान माइंड आउट पिट है एवं पुराने क्रेशर लगे हुए है । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।**

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के पत्र क्रमाक 838 दिनांक 14/10/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन की जावेगी, उक्त अस्थाई अनुज्ञा को सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 1,32,392 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.75 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 04.18 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि(रू.में)
ग्राम मोरघड़ी के शासकीय माध्यमिक शाला में 2 कंप्यूटर एवं 1 प्रिंटर उपलब्ध करवाया जावेगा साथ ही साथ उक्त विद्यालय के खेल के मैदान का समतलीकरण करवाकर उसे विकसित किया जावेगा	1,60,000

5. निम्नानुसार 2410 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्यक्रम (सतत् सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव, फेसिग तथा रख–रखाव के साथ प्रथम वर्ष मे अनिवार्य रूप से किया जाये एंव आगामी 02 वर्षो की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा की जायः–

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–करंज नीम, खमेर, चिरोल, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू ,पीपल, आदि।	600
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, पीपल, करंज, बरगद, चिरोल, पुत्रंजीवा, सिस्सू आदि।	200
3.	ग्राम पंचायत के माध्यम से शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, पाकर, खमेर आदि।	50
3.	ग्राम मोरघड़ी के ग्रामीणों में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल, मुनगा आदि।	1560
		योग	2410

7. **Case No 9821/2023 Shri Vilas Akram Zure, M/s GHV (India) Pvt. Ltd., AML Center 1, Mahakali Caves Road, Near Traveller Hotel, Near Paper Work Factory, Andheri East, Mumbai (MH)-458001, Prior Environment Clearance for Gunjari Stone & Murrum Quarry in an area of 1.00 ha. (Stone-25000, & Murrum-5000 Cum per annum) (Khasra No. 44) Village-Gunjari, Tehsil-Sanawad, District-Khargone (MP) (Temp. Permit).**

This is case of Stone Quarry and Murrum. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 44) Village-Gunjari, Tehsil-Sanawad, District-Khargone (MP) 1.00ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विलास अकरम जुरे (ऑन लाईन) ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति को अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में आवेदक का नाम वेवसाईट पर त्रृटिवंश गलत अंकित हो गया था जिसे परियोजना प्रस्तावक ने वेवसाईट पर सुधार कराकर उसकी कॉपी प्रस्तुतीकरण में शामिल की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 9755 दिनांक 21/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि (अस्थायी अनुज्ञा) पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के अंदर उत्तर–पूव एवं दक्षिण पूर्व दिशा में प्राकृतिक जल भराव क्षेत्र निर्मित है एवं खदान से लगभग 20 मीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व दिशा में एक जल रोकने की जल संरचना निर्मित है । इस संबध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन कार्य पूर्ण होने के उपरांत उक्त क्षेत्र को प्राकृतिक जल भराव क्षेत्र के रूप में निर्मित किया जावेगा एंव इस हेतु ग्राम पंचायत, मलगांव, जनपद पंचायत बडवाह के पत्र क्र0. 006 दिनांक 16/02/2023 मे उल्लेख है, कि उनके द्वारा बनाये गये वाटर पुल और अधिक बारीश के पानी को रोका जा सकता है इससे 30–35 एकड़ भूमि को सिंचित किया जा सकता है। होने के कारण छोडा जायेगा । खदान के उत्तर दिशा में लगभग 139 मीटर पर पक्का स्थित हैपरियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जाना प्रस्तावति है जिसका उल्लेख खनन् योजना में भी किया गया है । कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 7137 दिनांक 09/03/2022 कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन में उल्लेख किया है कि आवेदित सर्वे क्रमांक के पश्चिम दिशा में तालाब स्थित है, आवेदित क्षेत्र पर एक पक्का मकान व तीन कच्चे मकान स्थित है, उत्तर दिशा में सड़क मार्ग लगा हुआ है । आवेदित भूमि से विघुत लाईन गुजर रही है तथा दक्षिण दिशा में नाला स्थित है । इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूरा खसरा 20.708 हे0. का है जिसमे से परियोजना प्रस्तावक को मात्र 01 हे0. आंवटित हुआ है। अतः उपरोक्त पत्र में उल्लेखित मकान, सड़क इत्यादि उनके आवेदित खनन क्षेत्र मे नही स्थित है।
कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 9755 दिनांक 21/03/2023 कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के पत्र क्रमाक 8470 दिनांक 11/10/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि संपूर्ण औपचारिकताये पूर्ण होने के उपरांत उक्त अस्थाई अनुज्ञा को डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा। **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।**

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 25,000 मी^{3} प्रति वर्ष एवं मुरूम – 5,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.14 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.97 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
ग्राम गुंजारी के नजदीक स्थित प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में पदस्थ चिकित्सक के परामर्श से जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री दी जावेगी	80,000/-

4. निम्नानुसार 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्यक्रम (सतत् सिंचाई, मृत पौधों का बदलाव, फेसिग तथा रख–रखाव के साथ प्रथम वर्ष मे अनिवार्य रूप से किया जाये एंव आगामी 02 वर्षो की सुरक्षा राशि ग्राम पंचायत में जमा की जायः–

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, खमेर, चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू ,पीपल, करंज आदि।	400
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, करंज, बरगद, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	106
3.	ग्राम गुंजारी के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आवला, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, आम, मुनगा, कटहल, करंज आदि।	54
4.	ग्राम गुंजारी एवं समीप स्थित के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल आदि।	640
		योग	1200

8. <u>Case No 9825/2023 Shri Shishupal Singh Yadav, Owner, R/o Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP) Prior Environment Clearance for Katakheda Flagstone Quarry in an area of 1.975 ha. (2640 Cum per annum) (Khasra No. 29/2/1) Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP)</u>

This is case of Flagstone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 29/2/1) Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP) 1.975 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री शिशुपाल सिंह यादव ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 317 दिनांक 14/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
प्रकरण आज सेक की 640वीं बैठक दिनांक 26/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

9. <u>Case No 9827/2023 Shri Vijay Singh, Prop., M/s Ramasthan Stone Crusher, M-195, Bharhut Nagar, Satna (MP)-485001, Prior Environment Clearance for Ramasthan Stone Quarry in an area of 2.961 ha. (15969 Cum per annum) (Khasra No. 1000/2/G, 1000/2/KH/3, 1000/2/KH/1, 1000/1/D/1, 1000/1/D/2, 1000/1/D/3) Village-Ramasthan, Tehsil-Raghurajnagar, District-Satna (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1000/2/G, 1000/2/KH/3, 1000/2/KH/1, 1000/1/D/1, 1000/1/D/2, 1000/1/D/3) Village-Ramasthan, Tehsil-Raghurajnagar, District-Satna (MP) 2.961 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विजय सिंह ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 323 दिनांक 16/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में एक मुख्य खनिज श्री आनोद जैसवाल के नाम से स्वीकृत है, जिसका रकबा 08.092 हे. स्वीकृत है, जो कि सदृश (Homogenous) खनिज नहीं है एवं वर्ष 2014 से असंचालित है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेंत्र में 165 पेड़ लगे है

जिसमें से 91 पेड़ काटे जायेगे तथा उनके एवज् में 510 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे) तथा दक्षिण–पूर्वी भाग में जल भरा हुआ है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह एक पुराना पिट है जो वर्ष 2010 के पूर्व का खुदा हुआ है और इन्हे इसी अवस्था मे मिला है जिसे माईन प्लान/सर्फेस प्लान मे दर्शाया गया है। पश्चिम दिशा में 20 मीटर की दूरी पर एक मकान है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मकान उन्ही के परिवार के सदस्य श्री तेजभान सिंग का जिसमे वर्तमान मे कोई निवासरत् नही है उक्त संबंध में शपथ–पत्र भी प्रस्तुतीकरण मे दिखाया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवेदित उत्खनिपट्टे के समीप खसरा नं. 979 के भाग मेरी निजी भूमि है, जिस पर खेती से संबंधित सामग्री एवं मशीन रखने के हिसाब से मेरा एक मकान बना हुआ है, जिसमें कोई निवास नहीं करता और उक्त मकान को उत्खनिपट्टाधारी को साइट आफिस के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दे दिया है। जिसका उल्लेख कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 323 दिनांक 16/02/2023 में भी किया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु ब्लास्टिंग नही की जावेगी **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।**
परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 15,969 मी^{3} प्रति वर्ष एवं मुरूम – 5,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.50 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.89 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि(रू.में)
शासकीय प्राथमिक शाला में रेनोवेशन का कार्य करवाया जावेगा एवं एवं उक्त शाला में ही गणित एवं अन्य विषय से सम्बंधित टूल्स उपलब्ध करवाए जावेंगे। उक्त विद्यालय में 10 बेंच डेस्क एवं 2 टेबल भी उपलब्ध करवाए जावेंगे इसके अतिरिक्त जरूरत के हिसाब से अन्य आवश्यक सामग्री भी प्रदान की जावेगी	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3560 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– खमेर बबूल,	1180

		सीताफल, पीपल, जंगल जलेबी, सिस्सू, नीम, चिरोल , आदि।	
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, करंज, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, आम आदि।	225
3.	ग्राम रामस्थान एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आम, आमला, संतरा, जामफल, सीताफल, अनार, अमरूद, नींबू, मूंगा आदि।	1565
4.	ग्राम के प्रस्तावित उत्खनिपट्टे के उत्तरीय भाग के अनुपयोगी क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– खमेर जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, पीपल, चिरोल, करंज, सफेद कस्टार , सिस्सू आदि।	1000
5.	ग्राम रामस्थान के नजदीक स्थित शासकिय माध्यमिक शाला में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कदम्ब, सप्तपर्णी कचनार, सिस्सू, चिरोल, नीम, पीपल, आदि ट्री गार्ड के साथ)	100
		योग	3560

10. <u>Case No 9826/2023 Shri Sanjay Patwala, 72, Sukh Niwas, Gram Sukh Niwas, Indore (MP)-452013, Prior Environment Clearance for Jhigadi Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (9894 Cum per annum) (Khasra No. 83) Village-Jhigadi, Tehsil-Badwah, District-Khargone (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 83) Village-Jhigadi, Tehsil-Badwah, District-Khargone (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री संजय पटवाला (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1867 दिनांक 28/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 6.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण आज सेक की 640वीं बैठक दिनांक 26/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

11. Case No 9703/2023 Shri Yatish Jain, Executive Engineer, Division No. 1, Bhopal Development Authority, Pragati Bhawan, Press Complex, M.P. Nagar, Zone-1, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for area development project "Infrastructure Development Work of 45M Wide Master Plan Road (TDS-201/2020) [Total Plot Area-2269107.6 sqm, Total Built-up Area-1443221.17 sqm) at Khasra No. 1549, 1551, 1552(P), 45/1, 47/1, Village-Jhagriya, Katara, Bagli, Bhopal, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (MP). Category-8-b.

This is case of Prior Environment Clearance for Area Development Project of "Infrastructure Development Work of 45M Wide Master Plan Road (TDS-201/2020) [Total Plot Area-2269107.6 sqm, Total Built-up Area-1443221.17 sqm) at Khasra No. 1549, 1551, 1552(P), 45/1, 47/1, Village-Jhagriya, Katara, Bagli, Bhopal, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (M.P.) Cat. - 8(b) Township and Area Development Projects.

In the SEAC 631st meeting dated 18.03.2023 the case was presented by Env. Consultant Shri Krishan Chandra Panda, M/s. Oceao Enviro Management Solutions India Pvt. Ltd. Noida, UP (online) and PP Shri Yatish Jain, (online) Executive Engineer, Division No. 1, Bhopal Development Authority, Bhopal.

During presentation it was observed by the committee that as per the Google image uploaded online and presented by the PP, it was observed that many developmental activities and developed colonies were in existence within the project boundary and appears to be case of violation for which PP and consultant submitted that these projects are not part of this scheme and project boundary is wrongly marked on Google Image. They have not started any construction proposed in this project. Thus committee instructed PP to upload correct boundary of the proposed project for further consideration of this case.

Vide dated 17.04.2023 PP has uploaded on line query reply on PARIVESH portal which was asked in the in the SEAC 631st meeting dated 18.03.2023.

Hence, the case was scheduled for querries as desired in the earlier SEAC meeting for issue of TOR , wherein Env. Consultant Himanshu Goyal & Shri Krishan Chandra Panda (on-line) from M/s. Oceao Enviro Management Solutions India Pvt. Ltd. Noida, UP and PP

Shri Yatish Jain, Executive Engineer, and Shri S.K. Mishra , SE Division No. 1, Bhopal Development Authority, Bhopal. Wherein it was observed that PP has submitted –

- T&CPO approval letter with map vide letter no. 1193 dated 09.05.2022.
- Affidavit explaining area statement of the proposed development project.
- Google map of net scheme area.

Wherein PP submiited that :

- Town and Country Planning department approved master plan area 316.04 hectare (approved vide letter no. "Kramank 1193 SA044/DHARA 27-28 Bhopal/Jika.Bho./2022" Bhopal dated 9.05.2022).
- The area reconstituted for development comes out to be 226.911 hectare after leaving the already sanctioned area by T&CP and Abaadi area i.e. 89.129 hectare.
- The Net planned area for the development is 226.911 hectare which is clearly mentioned in the approved T&CP layout plan.
- The Abaadi area and the already approved area admeasuring 89.129 hectare are demarcated in the boundary of the master plan but application for the Environment Clearance has been made excluding the Abaadi area & already approved area.
- It is submitted that this 89.129 hectare area is not the part of the application made for Environment Clearance and Net Area for Environment Clearance is 226.911 hectare (reconstituted area).
- Available Reconstituted land admeasuring 226.911 hectare will be developed as per the "Gazette of Madhya Pradesh (Asadharan), Pradhikar Se Prakashit, kramank 67] Bhopal, Somvar, Dinank 17 February 2020-Magh 28, Shak 1941."
- It is undertaken that, the proposed development is only an Area development project under which only infrastructure works like road networks (45m, 30m, 20m, 12m and other trunk road), water, sewerage & STP etc. will be undertaken.
- There will be no construction done by Bhopal Development Authority. Separate Environment Clearance(s) will be obtained for concerned development of the plot owners if proposed development inside the scheme will fall under EIA notification 14.09.2006.

After presentation, Committee recommended to issue standard TOR as prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Project description, its importance and the benefits.

2. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
3. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
4. As proposed increase the green cover area upto 12.0 ha. area and see that after planting period of 05 years green canopy cover shakll not be less then 25 percent. Hence, proposed green cover with unifomalily space in the EIA report with category-wise plantation in the road side, peripheral plantation as suggested during meeting by the committee.
5. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
6. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
7. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
8. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).
9. Surface of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
10. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area.
11. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
12. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.

12. <u>Case No 9846/2023 M/s Euphoria Mines and Minerals, Partner Shri Himanshu Meena, R/o 9 A, Paramount Villa, Ansals, Shyamla Hills, District-Bhopal (MP)-462013 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 2.50 ha. (10000</u>

Cum per annum) (Khasra No. 818) Village-Didol, Tehsil-Chhatarpur, District-Chhatarpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 818) Village-Didol, Tehsil-Chhatarpur, District-Chhatarpur (MP) 2.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1861 दिनांक 02/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान तरपर नदी में स्थित है **परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज (मई 2022) अनुसार अनुसार खदान पूर्णतः जलमग्न है** जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि नदी का यह पानी सूख जाता है तथा उसके पश्चात् खनन् कार्य किया जा सकता है परियोजना परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यदि पुरानी गूगल इमेज का अवलोकन करें पायेंगे कि खदान में रेत उपलब्ध है । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी स्पष्ट किया कि बैरीयर जोन मे पेड़ लगे हुये है परन्तु कोई भी पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नही है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया कि बैरीयर जोन मे लगे हुये पेड़ किसी भी स्थिमि मे नही काटे जाने चाहिये। समिति के संज्ञान मे यह तथ्य भी आया कि प्रस्तुतीकरण के दौरान इवेक्यूशन रूट जो कि निजि भूमि से जाता हुआ दर्शाया गया है उसकी सहमति प्रस्तुतीकरण के दौरान नही दर्शाइ गई। समिति ने परियोजना प्रस्तावक को यह भी निर्देश दिया कि रेत का इवेक्यूशन खदान के दक्षिणी पूर्वी भाग से ही किया जावे एंव बैरियर जोन के अन्य स्थानों से न किया जावें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–78 के सरल क्रमांक–46 पर दर्ज है ।
प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख–भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ–साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे रू. 03.75 एकाउंट मे जमा करेंगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षोरोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षो तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित

पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से ''कनवरजेंस स्कीम'' (संमिलन योजना) के तहत् कराये। यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख–रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षो के रख–रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 10,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.15 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.95 लाख प्रति वर्ष ।
4. परियोजना प्रस्तावक स्वंय निम्नानुसार 3000 वृक्षो का वृक्षारोपण कार्य प्रथम वर्ष में करेगाः–

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपसए गटायन के बीज एंव स्थानीय घास 4–5 पंक्ति – कटंग बांस 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, जंगल जलेबी, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	1500
2	ग्राम– दिदोल के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1000
3	सरकारी माध्यमिक विद्यालय दिदोल में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, सीताअशोक, नीम, सीताफल, गुलमोहर इत्यादि।	50
4	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, चिरोल ,जंगल जलेबीए आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	450
		योग	**3000**

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :–

Activities	Cost in Rs

ग्राम दिदोल के सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों के बैठने के लिए 10 डेस्क व बेंच के साथ एक कम्प्यूटर भी वितरित किया जाएगा।	50,0000/–

13. <u>Case No 9386/2022 M/s Sharma Associates, Partner Shri Dinesh Sen, Devri Rajmarg, Dist. Narsinghpur, MP - 487330, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 2.0 ha. (30000 Cum per annum) (Khasra No. 01), Village - Chhituraha, Tehsil - Patan, Dist. Jabalpur (MP)</u>

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village - Chhituraha, Tehsil - Patan, Dist. Jabalpur (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 603वीं बैठक दिनांक 04/11/22 को प्रस्तुत हुथा जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश सेन (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र.उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1595 दिनांक 24/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के समय परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल इमेज तथा रिर्कोडेड फॉरेस्ट ऐरिया मेप के अनुसार वन क्षेत्र लगभग 110 से 120 मीटर की दूरी पर आ रहा है जबकि प्रकरण के साथ अपलोडिड एकल प्रमाण पत्र (कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1595 दिनांक 24/05/2022) अनुसार 250 मीटर के अंदर कोई वन क्षेत्र नही है । उपरोक्त स्थिति में समिति की अनुशांसा है कि चूंकि परिवेश पर अपलोडिड गूगल इमेज अनुसार आवटित खनन् क्षेत्र वन क्षेत्र से लगभग 110 से 120 मीटर की दूरी पर आ रहा है अतः परियोजना प्रस्तावक संभागीय आयुक्त समिति का अनुमोदन प्राप्त कर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्रस्तुत करे तथा प्रकरण अवलोकनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु सिया को अग्रेषित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रकरण प्रकरण सेक को समिति की 614वीं बैठक दिनांक 23/12/22 को डिलिस्ट करने की अनुशंसा सिया को की गई थी । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन एडीएस दिनांक 07/03/23 के माध्मम से कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर की वन क्षेत्र के संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत कर प्रकरण को रिलिस्ट किये जाने का अनुरोध को मान्य करते हुए सिया के पत्र क्रमांक 3225 दिनांक 24/03/23 के द्वारा रिलिस्ट कर प्रकरण को समिति को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 26/04/23 समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश सेन (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ उ.प्र. उपस्थित हुए ।

संभागीय आयुक्त की समिति जबलपुर के कार्यवाही विवरण दिनांक 19/01/23 अनुसार बैठक में प्रकरण का परीक्षण किया गया, उपलब्ध दस्तावेजो का आवलोकन किया गया परीक्षण उपरांत आवेदित क्षेत्र के पश्चिम दिशा (वन सीमा) की ओर पर्यावरण की शर्तो के अनुरूप वृक्षारोपण करने तथा वृक्षारोपण का खदान अवधि तक सरंक्षण करने की शर्त पर अनापत्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 30,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 19.57 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 2.63 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाया। विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 07.20 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू–प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियॉ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे ।
5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगेः–

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, अगेव के स्लीपसए गटायन के बीज एंव स्थानीय घास 4–5 पंक्ति – कटंग बांस 6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, जंगल जलेबी, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	1000
2	ग्राम– दिदोल के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1000
3	सरकारी माध्यमिक विद्यालय छितुरहा में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, अशोक, नीम, सीताफल, गुलमोहर इत्यादि।	50
	परिवहन मार्ग (1000 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल ,जंगल जलेबीए आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	350
		कुल	2400

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
तहसील– पाटन के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में दस पलंग (गद्दा बेड शीट के साथ)	60,000/–

14. <u>Case No 9730/2023 Shri Mallikarjunarao Chirumamilla, Director, M/s Ramka Mining Private Limited, R/o H.No. 40, Ramharha, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Dehariya Sand Mine in an area of 2.00 ha. (600 Cum per annum) (Khasra No. 48, 77), Village-Dehariya, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP)</u>

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 48, 77), Village-Dehariya, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 629वीं दिनांक 14/03/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरूमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 373 दिनांक 08/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान सुकाद नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–126 के सरल क्रमांक–13 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–600 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 600 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र के पश्चिम दिशा में एक पक्का रोड ब्रिज नदी के अपस्ट्रीम में है तथा पूर्व दिशा में भी एक दूसरा रोड ब्रिज नदी के डाउन स्ट्रीम मे है छोटा सा सिविल स्ट्रकचर बना हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दोनो दिशाओं में पक्का रोड ब्रिज के कारण आवंटित खनन् क्षेत्र में 250 मीटर एंव 500 मी. का सेटवेक दोनो ओर छोड़ा गया है जिस कारण लगभग 0.1475 हे. का क्षेत्र खनन् हेतु उपलब्ध है जो प्रस्तुतीकरण में दर्शाया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आंवटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही मांइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 600 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक

ने बताया कि रेत का परिवहन पूर्वी दिशा से किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् क्षेत्र दो ब्लॉक में आवंटित है किन्तु ऑनलाइन एक ही ब्लॉक दर्शित हो रहा है, जो संभवतः सॉफ्टवेयर के कारण हुआ है क्योंकि अनुमोदित खनन् योजना, डी.एस.आर. तथा प्रस्तुतीकरण में हमारे द्वारा दो ब्लॉक दिखाये गये हैं। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 600 घन मीटर/वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन् प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 600 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 0.08 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 0.22 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक स्वंय निम्नानुसार 150 वृक्षो का वृक्षारोपण कार्य :–

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
Upto 30.06.2023	For Village distribution specially to the famers who,s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	150

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य जून 2023 के पूर्व पूर्ण किये जाये :–

Activities	Cost in Rs
Two wheel chair to be provided to nearest PHCs	0.20

सिया की 778वीं बैठक दिनांक 29/03/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लांन के अशांश–देशांश अनुसार प्रस्तावित खदान के पश्चिम दिशा में एक पक्का रोड़ ब्रिज नदी के अपस्ट्रीम में तथा पूर्व दिशा में दूसरा रोड़ ब्रिज डाऊन स्ट्रीम में परिलक्षित है । भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ने पर खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण आज दिनांक 26/04/23 समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री मल्लिकार्जुनराव चिरूमामिला के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश तिवारी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दोरान बताया कि आंवटित रेत खदान क्षेत्र दो भागो मे है। पूर्व मे परिवेश पोर्टल पर उनके द्वारा त्रृटिवंश दूसरी इमेज अपलोड हो गयी थी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान माइनिंग

प्लान एंव जिला सर्वेक्षण रिर्पोर्ट मे उल्लेखित अंक्षश देशांस के आधार पर बनायी गई के.एम.एल. नदी के अपस्ट्रिम एंव डाउनस्ट्रिम मे स्थित रोड ब्रिज से भिन्न जगह पर प्रदर्शित होती है। समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिखाई गई के.एम.एल इमेज के कोर्डेनेट्स जिला सर्वेक्षण रिर्पोर्ट मे उल्लेखित अंक्षश देशांस से मिलान होते है। अतः समिति की अनुशंसा है कि प्रकरण मे सेक की 629वीं बैठक दिनांक 14/03/23 मे लिये गये निर्णय अनुसार पूर्ववत् रहेगा।

15. <u>Case No 8691/2021 M/s Shiv Grit Udyog, Shri Kushalpal Singh, R.G. No. 80, 82, Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 2330, 2332), Village - Prakash Bamhori, Tehsil - Gaurihar , Dist. Chhatarpur (MP). Env. Consultant M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Noida, U.P.</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2330, 2332), Village - Prakash Bamhori, Tehsil - Gaurihar , Dist. Chhatarpur (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 518वीं दिनांक 18/10/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज सेक की 610वीं बैठक दिनांक 08/12/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

प्रकरण आज सेक की 620वीं बैठक दिनांक 13/01/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक सेक की 610वीं बैठक दिनांक 08/12/22 में अनुपस्थित रहे। अतः समिति ने निर्णय लिया कि चूंकि इनको दो अवसर प्रस्तुतीकरण हेतु दिये गये जिसमें यह अनुपस्थित रहे है अतः इस प्रकरण को निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

आज दिनांक 26/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री कौशलपाल सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ. प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर यह पाया गया कि खदान के पश्चिम दिशा में 270 मीटर पर आबादी है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आबादी के कारण पश्चिम दिशा में सघन वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है एंव किसी प्रकार की पेड़ो की कटाई प्रस्तावित नही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र एक हे. न्यूनतम् होने की शर्त के कारण लीज 02 भागों में आवंटित की गई है तथा लीज के छोटे भाग पर कोई खनन् कार्य प्रस्तावित नहीं किया गया है। इस भाग पर साईट आफिस, रेस्ट शेल्टर एवं

वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है । इसी प्रकार खदान के पूर्वी क्षेत्र से लगकर एक कच्चा रोड़ निकल रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यहॉ से 10 मीटर का सेटबैक प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा पत्थर गिरने की समस्या, जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 50,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.85 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 5.14 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
प्रकाश बम्हौरी के स्थानीय ग्रामीणों के लिए साल में दो बार स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था की जायेगी।	**20,000/-**
ग्राम प्रकाश बम्हौरी के प्राथमिक स्कूल में कंप्यूटर, प्रिंटर तथा कंप्यूटर टेबल की व्यवस्था की जाएगी	**40,000/-**
उज्जवला योजना के तहत 6 नग एलपीजी गैस सिलेंडर का वितरण किया जायेगा। (6'5000)	**30,000/-**
योग	**90,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम ———— वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1.	**बैरियर जोन (खसरा नंबर 2330)**	नीम, सिस्सू, करंज, सीताफल, चिरौल, जंगल जलेबी, खमेर, उपलब्ध देशी प्रजातियां इत्यादि।	380
	(खसरा नंबर 2332). 100 वर्ग मीटर में	नीम, सिस्सू, करंज, सीताफल, चिरौल, जंगल जलेबी, खमेर, उपलब्ध देशी प्रजातियां इत्यादि।	100
3.	परिवहन मार्ग तक (पौंधो की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, चिरोल ,जंगल जलेबीए आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	120

4.	शासकीय विद्यालय बडौरा कलां	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, अशोक,नीम, सीताफल, गुलमोहर इत्यादि।	20
5.	ग्रामवासी बडौरा कलां व प्रकाश बम्हौरी को पेड़ बांटे जाएंगे।	आम, बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	580
		कुल	1200

16. <u>Case No 9715/2023 Shri Jeevan Patel, Partner, M/s Shree Krishna Enterprises, R/o 30, Shree Mangal State Near Shubh Labh Valley, Bengali Square, District-Indore (MP)-452001, Prior Environment Clearance for Kampel Stone M-Sand & Murrum Quarry in an area of 3.44 ha. (Stone-17236, Murrum-11725 & M-Sand-17236 Cum per annum) (Khasra No. 2471, 2574, 2573/4, 2573/1, 2573/ Pvt.), Village-Kampel, Tehsil-Khudel, District-Indore (MP)</u>

This is case of Stone M-Sand & Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2471, 2574, 2573/4, 2573/1, 2573/3 Private), Village-Kampel, Tehsil-Khudel, District-Indore (MP) 3.44 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री जीवन पटेल (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराधव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजराज) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1736 दिनांक 12/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 14.258 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के अंदर दक्षिण दिशा मे कुछ अर्धनिर्मित संरचना दिखाई दे रही जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिना पर्यावरणीय अभिस्वीकृति कार्य शुरू कर दिया गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक व उनके पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस खदान के पश्चिम दिशा में स्थित एक अन्य खदान का कुछ समान इस खदान् को आवंटित क्षेत्र में रखा है । समिति ने पाया कि जो अर्धनिर्मित संरचनाये दिख रही है वह संभवतः अर्थ वर्क के उपरांत फाऊंडेशन का कार्य किया जा रहा है जो एम.सेंड प्लॉट के निर्माण से संबंधित हो सकता है तथा यह प्रकरण वॉयलेशन की श्रेणी में आयेगा। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक संर्पूण आवंटित खनन् क्षेत्र की ड्रोन विडियो ग्राफी कराकर एक मिनिट का विडियो तथा कम से कम पांच जी.पी.एस. टेग्ड फोटोग्राफ इन अर्धनिर्मित संरचनाओं के प्रस्तुत करे ताकि प्रकरण में निर्णय लिया जा सकें ।

The case was scheduled for the presentation wherein it was observed by the committee that PP has uploaded on line request on Parivesh vide letter dated 11/04/2023 wherein submitted

that " *we have started insattling crusher/M-sand plant without getting prior EC and on the basis of minutes of the case this case will come under violation category so we would like to witdraw our previous application and want to apply thae same case come under violation category"* .

Committee after deliberations decided that on the request of PP case may be considered for withdrawal and same may be sent to SEIAA for onward necessary action.

17. <u>Case No 9680/2023 Smt. Santoshee Devi, Owner, R/o Village Hansai Mewada, Tehsil & District-Morena (MP)-476001, Prior Environment Clearance for Hansai Mewada Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (3600 Cum per annum) (Khasra No. 1077/2, 1078/1), Village-Hansai Mewda, Tehsil & District-Morena (MP)</u>

This is case of Soil Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1077/2, 1078/1), Village-Hansai Mewda, Tehsil & District-Morena (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व 630वीं बैठक दिनांक 17/03/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्रीमती संतोषी देवी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पांडा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट साल्यूशन इंडिया प्रा.लि., गाजियाबाद (उ.प्र.) (ऑनलाईन) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 27 दिनांक 10/01/23 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पश्चिम दिशा में 22 मी. की दूरी पर कच्चा रोड़, उत्तर–पूर्व दिशा में 163 मी. की दूरी पर पक्का रोड है एंव उत्तर–पश्चिम दिशा 262 मी. की दूरी मे कुछ मकान है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् के दौरान ड्रिलिंग ब्लास्टिंक प्रस्तावित नही है, खनन् कार्य अधिकतम 02 मीटर की गहराई तक किया जायेगा, आवंटित खनन् क्षेत्र में क्लिन की स्थापना नही की जायेगी । उत्तर दिशा में 02–03 मकान स्थित है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वह उनके परिवार के निवास स्थान है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पांडा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट साल्यूशन इंडिया प्रा.लि., गाजियाबाद (उ.प्र.) द्वारा प्रस्तुतीकरण में ईएमपी ही प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा फार्म–1 में प्रस्तुत जानकारी भी प्रस्तुतीकरण में दिये गये विवरणों से भिन्न है जो पर्यावरणीय सलाहकार के स्तर पर लापरवाही है तथा यह भी इंगित करती है कि वे अपने कार्य एवं अपने परियोजना प्रस्तावक के प्रति दायित्व निर्वहन में गंभीर नहीं है । अतः समिति की अनुशंसा है कि :–

अ. परियोजना प्रस्तावक प्रकरण से संबंधित संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए ईएमपी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित् की जा सके ।

ब. मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट साल्यूशन इंडिया प्रा.लि., गाजियाबाद (उ.प्र.) का स्पष्टीकरण उपरोक्त संबंध में प्राप्त किया जाये कि क्यों न उनकी इस लापरवाही को क्वालिटी कौंसिल ऑफ इंडिया के संज्ञान में लाया जाये।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– मुरैना द्वारा पत्र क्र0. 22 दिनांक 10/01/2023 के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे जोड़ी गई है। उक्त संबंध में अनुमोदित डी.एस.आर. के अवलोकन करने पर उक्त खदान का नाम सूची में नही है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–
परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 06/04/23 के द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 26/04/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्रीमती संतोषी देवी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पांडा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट साल्यूशन इंडिया प्रा.लि., गाजियाबाद (उ.प्र.) (ऑनलाईन) उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मिट्टी – 3600 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू0. 7.11 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.03 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू0. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

CER Activities	Capital Amount in lakh
Furniture for government school of nearby village Hansai Mevada	25,000
Government PHC Hospital of nearest village Hansai Mevada- • IRON Stretcher ABCO- 1 Nos @7699/- Each • Wheel Chair (200 kg) Medimove- 1 Nos@5521/- Each • Pulse Oximeter Contec- 2 Nos@650/- Each • BP Instrument Dr. Morepen- 2 Nos@1100/-Each • Bench for Hospital SS Matt 4 Seater- 1 Nos@13500/- Each	30,220
Eye/Dental awareness camp and health checkup for people and employees of village Hansai Mevada	25,000

Total	**80,220/-**

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में :–

क्रं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	सागौन, सिरिस, बबूल, आम, पीपल, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय	200
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), बांश एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय | ट्री-गार्ड के साथ	20
3	**ग्राम हंसाई मेवडा** स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी	नीम कदम, पीपल, करंज एवं सीता अशोक आदि	150
4	ग्राम हंसाई मेवडा के ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम	830
		योग	1200

18. <u>Case No 9681/2023 Shri Dilip Singh Rao, Director, M/s Ravi infrabuild Projects Private Limited, R/o 95, Hiran Magri, Sector-11, Udaipur (RJ)-313001, Prior Environment Clearance for Bolkhedaghat Stone and M Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (Stone-4469 & M-Sand-70018 Cum per annum) (Khasra No. 1/1), Village-Bolkhedaghat, Tehsil-Mahidpur, District-Ujjain (MP) . (Temporary Permit).</u>

This is case of Stone and M Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1/1), Village-Bolkhedaghat, Tehsil-Mahidpur, District-Ujjain (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व 630वीं बैठक दिनांक 17/03/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पांडा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट साल्यूशन इंडिया प्रा.लि., गाजियाबाद (उ.प्र.)। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1827 दिनांक 18/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पांडा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट साल्यूशन इंडिया प्रा.लि., गाजियाबाद (उ.प्र.) द्वारा प्रस्तुतीकरण में ईएमपी ही प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा फार्म–1 में प्रस्तुत जानकारी भी प्रस्तुतीकरण में दिये गये विवरणों से भिन्न है जो पर्यावरणीय सलाहकार के स्तर पर लापरवाही है तथा यह भी इंगित

करती है कि वे अपने कार्य एवं अपने परियोजना प्रस्तावक के प्रति दायित्व निर्वहन में गंभीर नहीं है । अतः समिति की अनुशंसा है कि :–

अ. परियोजना प्रस्तावक प्रकरण से संबंधित संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए ईएमपी प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित् की जा सके ।

ब. मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट साल्यूशन इंडिया प्रा.लि., गाजियाबाद (उ.प्र.) का स्पष्टीकरण उपरोक्त संबंध में प्राप्त किया जाये कि क्यों न उनकी इस लापरवाही को क्वालिटी कौंसिल ऑफ इंडिया के संज्ञान में लाया जाये।

परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 04/04/23 के द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 26/04/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पांडा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट साल्यूशन इंडिया प्रा.लि., गाजियाबाद (उ.प्र.)।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिणी दिशा मे 100 मी. की दूरी पर एक जल रोकने की संरचना स्थित है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा, इस शपथ–पत्र प्रस्तुतीकरण के साथ दिया गया है । कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 244 दिनांक 20/01/2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि जिला डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2022–23 में तैयार की गई है, तत्पश्चात् उक्त अस्थाई अनुज्ञा अनुमति प्रदान की गई है । नवीन जिला सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी ।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 4469 मी^{3} प्रति वर्ष एवं एम–सेंड – 70,018 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 21.95 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 05.37 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.51 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

CER Activities	Capital in lakh
Furniture for government school of nearby village Bolkheda ghat	50,000
Government PHC Hospital of nearest village Bolkheda Ghat- • IRON Stretcher ABCO- 5 Nos @7699/- Each=38495/- • Wheel Chair (200 kg) Medimove- 5 Nos@5521/- Each=27605/- • Pulse Oximeter Contec- 10 Nos@650/- Each=6500/- • BP Instrument Dr. Morepen- 10 Nos@1100/-Each=11000/- • Bench for Hospital SS Matt 4 Seater- 5 Nos@13500/- Each=67500/-	1,51,100
Eye/Dental awareness camp and health checkup for people and employees of village Bolkheda Ghat.	50,000
Total	**2,51,100/-**

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में :–

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, चिरोल, करंज, एवं सीताफल हर पेड़ के 4 बीच में एक	200
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर ट्री गार्ड के साथ)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय | गार्ड-ट्री) के साथ	150
3	ग्राम बोलखेडा घाट स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में ट्री गार्ड के साथ	नीम कदम, पीपल, करंज, सीताफल एवं अशोक	200
4	ग्राम बोलखेडा घाट के ग्राम वासियों में पौंधो का वितरण	जामुन, मुनगा, सीताफल, कटहल नीबू, सीताफल एवं अमरुद	650
		योग	1200

19. <u>Case No 7305/2020 M/s Fortune Stones Limited, 11, Bungalow No. 2, Lonathpuram, Sagar Road, Chhatarpur (MP) Prior Environment Clearance for approval of Granite Stone Quarry in an area of 1.40 ha., (711 CUM/Annumn) (Khasra No. 901 part) at Village- Kathara, Tehsil- Lavkushnagar, District- Chhatarpur (MP)</u>

This is case of Granite Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 901 part) at Village- Kathara, Tehsil-

Lavkushnagar, District- Chhatarpur (MP) 1.40 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 446वीं दिनांक 06/07/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण सेक की 627वीं बैठक दिनांक 03/03/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पुष्पेन्द्र सिंह उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए। एसईएसी बैठक क्रमांक 446वीं दिनांक 06/07/2020 में अनुशंसित टॉर अनुसार जिला वन मंडलाधिकारी के पत्र क्र0. 1994 दिनांक 01/01/2015 में लेख है, कि आवेदित क्षेत्र वन सीमा से <250 मी. मे है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय आयुक्त, संभागीय कार्यालय छतरपुर दिनांक 20/12/2017 को आहुत बैठक में आवेददित खनन क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है, कि वन कक्ष क्रमांक पी.–703 की सीमा से 0 (शून्य) कि.मी. पर प्रतिवेदित किया गया है। उपरोक्त संबंध में परियोजना प्रस्तावक को वन सीमा की ओर वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में पक्की सीमेन्ट पत्थर दीवार (पत्थर खाखरी) का निमार्ण करेगा । वन मंडलाधिकारी के निर्देशन मे वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है तथा उत्तर एंव पूर्व दिशा में खदान से लगी हुई आबादी है। खदान के पूर्वी दिशा में आवेदित खनन क्षेत्र के समीप आबादी दिख रही है, लीज क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिशा मे 100 मी. की दूरी पर पक्का रोड स्थित है। तत्संबंध मे परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है तथा वायर–शॉ मेथड के माध्यम से ब्लॉक कटिंग की जावेगी। इस खदान की जनसुनवाई के दौरान कई सुझाव प्राप्त हुये जैसे– स्वास्थ्य शिविर एंव रोजगार जिनको परियोजना प्रस्तावक द्वारा मान्य किये एंव अपनी सहमति व्यक्त की गई । खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता ग्रेनाइट स्टोन – 711 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.87 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 24.172 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target (Project Cost : 100 Lacs)
Apart from the ongoing CER programme being carried out for extsing adjacent mine, following are the proposal of CER for proposed mine .

SN	Issues	Cost lacs in Rs
1	Conduction of medical camp for people of village Kathara and Nearby area (Twice in a year)	2.00
2	Additional facilities at PHC of Village Kathara- Bagmau as per requirement	3.00
	Total	**05.0**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3100 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Plant Species for Mine Area, Transportation road and its Boundary			
Phase	Name of Tree/ shrub/Herbs	No. of Plants	Location
1st Year	Neem, White Kastar, Chirol, Khamer and other species Seeds of local species etc. Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	1000	Along with barrier zone
Along with Mining Operation	Karanj, Jangal Jalebi, White Kastar, Neem, Chirol, Khamer, and other local species etc.	1800	backfilled area
1st year	Mango, Kathal, Khamer, Neeem, Pipal, Jamun and other local species etc with tree gard.	200+1000	Road Side and For village distribution
	Total	4000	

सिया के पत्र क्रमांक 26 दिनांक 04/04/23 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लांन के अक्षांश–देशांश के अनुसार प्रस्तावित खदान पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है तथा उत्तर एवं पूर्व दिशा में खदान से लगी हुई आबादी है । मान्नीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी की गाईडलाईन अनुसार पत्थर खनन् प्रक्रिया में ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है, जिसके परिपालन में जल रोकने वाली सरंचना से निर्धारित दूरी 100 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये ।

प्रकरण आज सेक की 640वीं बैठक दिनांक 26/04/23 को प्रस्तुत हुआ जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पुष्पेन्द्र सिंह (ऑन लाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह प्रकरण पत्थर खनन् का नही है अतः मान्नीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी की गाईडलाईन अनुसार पत्थर खनन् प्रक्रिया में ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् 200 मीटर की दूरी के स्थानवार के मापदण्ड इस प्रकरण पर लागू नही होते साथ ही आवंटित खनन् क्षेत्र के समीप जल रोकने वाली संरचना 50 मीटर की दूरी पर स्थित है जिसके संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिग टेंक

प्रस्तावित किये गये है। परियोजना प्रस्तावक ने यह भी स्पष्ट किया कि यह ग्रेनाइट के खनन का प्रस्ताव है जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है क्योकि वायर–शॉ मेथड के माध्यम से ब्लॉक कटिंग की जावेगी तथा आबादी से सुरक्षा हेतु रिटेनिंग वॉल का प्रस्ताव पूर्व से ही पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ओ.एम. दिनांक 29/10/14 के अनुरूप दिया गया है ।

समिति ने पाया कि सेक की 627वीं बैठक दिनांक 03/03/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की अनुशंसा की थी । अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक 627वीं बैठक दिनांक 03/03/23 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

20. <u>Case No 9604/2023 Shri Sardar Singh Gurjar, Owner, 248, Paras Vihar Colony, District-Gwalior (MP) Prior Environment Clearance for Rawad Stone (Gitti) Quarry in an area of 4.00 ha. (30000 cum per annum) (Khasra No. 1/1), Village-Rawad, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP)</u>

This is case of Stone (Gitti) Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1/1), Village-Rawad, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सरदार सिंह गुर्जर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1719 दिनांक 07/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में लगभग 20 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 170 मीटर पर पक्का रोड़ एवं पश्चिम दिशा में 285 मीटर की दूरी पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्वी भाग से लगा हुआ पुरानी संरचना या क्रेशर स्थापित दिख रहा है यह क्या है इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट करे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड नही की गई अतः परियोजना प्रस्तावक जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर**

रहे है अथवा नहीं। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के उत्तर दिशा में लगभग 20 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 170 मीटर पर पक्का रोड़ एवं पश्चिम दिशा में 285 मीटर की दूरी पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्वी भाग से लगा हुआ पुरानी संरचना या क्रेशर स्थापित दिख रहा है यह क्या है इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट करे।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड नही की गई अतः परियोजना प्रस्तावक जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

सिया के पत्र क्रमांक 3185 दिनांक 21/03/23 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लांन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार खनन् क्षेत्र से 20 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ परिलक्षित हो रहा है । मान्नीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी की गाईडलाईन अनुसार पत्थर खनन् प्रक्रिया में ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है, जिसके परिपालन में पक्की रोड़ से निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् न्यूनतम् खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो रहा है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये ।

प्रकरण आज सेक की 640वीं बैठक दिनांक 26/04/23 में रखा गया जिसमें समिति ने पाया कि सेक की 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 में सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का परीक्षण किया गया था, जिसके आधार पर ही परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. हेतु टॉर की अनुशंसा की गई थी तथा उसमें खनन् क्षेत्र के आस–पास विद्यमान सभी पर्यावरणीय

संवेदनशीलताओ को ध्यान में रखते हुए निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की अनुशंसा की गई थी :–

1. खदान के उत्तर दिशा में लगभग 20 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 170 मीटर पर पक्का रोड़ एवं पश्चिम दिशा में 285 मीटर की दूरी पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्वी भाग से लगा हुआ पुरानी संरचना या क्रेशर स्थापित दिख रहा है यह क्या है इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट करे।

समिति ने पाया कि सेक की 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने टॉर की अनुशंसा की गई थी, क्योकि की कई बार परियोजना प्रस्तावक संरक्षण योजना में शपथ–पत्र के माध्यम से ब्लास्टिंग के स्थान पर रॉक ब्रेकर के माध्यम से खनन् करने का प्रस्ताव भी देते है जिसके कारण प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर ही रह जाती है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है । इसी कारण खनन् क्षेत्र के आस–पास विद्यमान सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओ को ध्यान में रखते हुए टॉर में विशिष्ट शर्तो का उल्लेख किया जाता है जिसका समाधान कारक प्रस्ताव परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. में प्रस्तुत करना होता है । टॉर के साथ जारी एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो में भी यह उल्लेखित किया जाता है कि "Grant of TOR does not mean grant of EC". अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 में टॉर हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

21. <u>Case No 9576/2023 Shri Banne Gorshiya, Lessee, R/o Village-Shankarpur, Maksi Road District-Ujjain (MP)-456010 Prior Environment Clearance for Stone and M-Sand Quarry in an area of 1.800 ha. (15000 cum per annum) (Khasra No. 188), Village-Surjanwasa, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP)</u>

This is case of Stone and M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 188), Village-Surjanwasa, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) 1.800 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व की 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री बने गोरशिया (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1951 दिनांक 10/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 11 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 27 मीटर की दूरी पर मंदिर एवं तालाब, दक्षिण दिशा में 280 मीटर तथा

पूर्व दिशा में 300 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन 15,582 घनमीटर/वर्ष (स्टोन 7791 एवं एम–सेंड 7791) हेतु आवेदन किया गया है जबकि अनुमोदित खनन् योजना में उत्पादन क्षमता 15,000 घनमीटर /वर्ष (स्टोन 7500 एवं एम–सेंड 7500) है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवेदन में त्रुटिवश उत्पादन क्षमता 15,582 घनमीटर/वर्ष उल्लेखित हो गई है अतः उत्पादन क्षमता अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 15,000 घनमीटर /वर्ष (स्टोन 7500 एवं एम–सेंड 7500) टॉर दिया जाये। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में यह खदान 3.0 हे. क्षेत्र में 2008 से 2018 तक श्री दिनेश शर्मा के नाम से स्वीकृत थी जिसे 2850 घनमीटर /वर्ष क्षमता हेतु ई. सी. प्राप्त थी । अब यह खदान् नई खदान के रूप में श्री बने गोरशिया के नाम से 1.80 हे. में स्वीकृत हुई है, अतः यह नया प्रकरण है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि माईन प्लॉन के अनुसार पूर्व में उत्तर दिशा में एक पिट जो 03 मीटर का है जिसमें से 19,800 घन मीटर रिजर्व निकाला गया है । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 27 मीटर की दूरी पर मंदिर एवं तालाब, दक्षिण दिशा में 280 मीटर तथा पूर्व दिशा में 300 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
5. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज है किंतु अपलोडिड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपठनीय होने के कारण पठनीय जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा ठहराव प्रस्ताव अपलोड नहीं किया गया है, अतः ई.आई.रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

8. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें । फार्म–2 के लेंड यूज में चारागाह उल्लेखित है अतः परियोजना प्रस्तावक 1.80 हे. के समतुल्य क्षेत्र में चारागाह विकास की योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करेगा ।

सिया के पत्र क्रमांक 3179 दिनांक 21/03/23 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लांन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार खनन् क्षेत्र से 27 मीटर की दूरी पर तालाब एवं मंदिर परिलक्षित हो रहा है । मान्नीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी की गाईडलाईन अनुसार पत्थर खनन् प्रक्रिया में ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है, जिसके परिपालन में तालाब से निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् न्यूनतम् खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो रहा है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये ।

प्रकरण आज सेक की 640वीं बैठक दिनांक 26/04/23 में रखा गया जिसमें समिति ने पाया कि सेक की 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 में सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का परीक्षण किया गया था, जिसके आधार पर ही परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. हेतु टॉर की अनुशंसा की गई थी तथा उसमें खनन् क्षेत्र के आस–पास विद्यमान सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओ को ध्यान में रखते हुए निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की अनुशंसा की गई थी :–

1. खदान के दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग 27 मीटर की दूरी पर मंदिर एवं तालाब, दक्षिण दिशा में 280 मीटर तथा पूर्व दिशा में 300 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

समिति ने पाया कि सेक की 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने टॉर की अनुशंसा की गई थी, क्योकि की कई बार परियोजना प्रस्तावक संरक्षण योजना में शपथ–पत्र के माध्यम से ब्लास्टिंग के स्थान पर रॉक ब्रेकर के माध्यम से खनन् करने का प्रस्ताव भी देते है जिसके कारण प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर ही रह जाती है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है । इसी कारण खनन् क्षेत्र के आस–पास विद्यमान सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओ को ध्यान में रखते हुए टॉर में विशिष्ट शर्तो का उल्लेख किया जाता है जिसका समाधान कारक प्रस्ताव परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. में प्रस्तुत करना होता है । टॉर के साथ जारी एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो में भी यह उल्लेखित किया जाता है कि "Grant of TOR does not mean grant of EC". अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 में टॉर हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

22. Case No 9615/2023 Shri Ajay Pathak Partner, M/s Maa Infratech, Vijay Nagar, Sector No.-3, District-Gwalior (MP)-474012, Prior Environment Clearance for Upcha Stone & M-Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone-25000 & M-sand-25000 Cum per annum) (Khasra No. 927), Village- Upcha, Tehsil-Vijaypur, District-Sheopur (MP)

This is case of Stone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 927), Village- Upcha, Tehsil-Vijaypur, District-Sheopur (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व 627वीं बैठक दिनांक 03/03/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अजय पाठक (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, (गुजरात)उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 11038 दिनांक 11/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर पूर्वी दिशा मे 100 मी. पर आबादी, पूर्व दिशा में 41 मी. पर, दक्षिण–पूर्व में 50 मी. पर एंव 308 मी. पर शेड स्थित है। उत्तर–पश्चिम में 292 मी. पर मौसमी नाला एंव एक पूर्व उत्तर दिशा में 104 मी. पर कच्चा रोड है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। मौसमी नाले के संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है। उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्र0. 25 एंव सरल क्र0. 10 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 25,000 मी^{3} प्रति वर्ष एवं एम. सेंड – 25,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.93 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.61 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर.	राशि (रू.में)
उपचा के नजदीक स्थित प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में पदस्थ चिकित्सक के सुझाव अनुसार स्वास्थ केंद्र में उपयोग हेतु सामग्रीध्उपकरण उपलब्ध कराये जावेंगे।	80,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1550 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, चिरोल, खमेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू ,पीपल, बरगद, करंज आदि।	700
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– करंज, नीम, चिरोल, पीपल, सिस्सू, कदम, पुत्रंजीवा आदि।	200
3	ग्राम उपचा के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आवला, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल, करंज आदि।	200
	ग्राम उपचा के नजदिक स्थित ग्राम पंचायत में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, मोलश्री, सिस्सू, बरगद, पीपल, कचनार, कदम , चिरोल आदि।	150
	ग्राम उपचा एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– मुनगा, आम, जामुन, सीताफल, अनार, निम्बू, अमरुद, कटहल, आमला आदि।	1300
		योग	1550

सिया के पत्र क्रमांक 30 दिनांक 04/04/23 के द्वारा खदान पहाड़ी पर स्थित है और अभी इस पहाड़ी पर कोई खनन् कार्य नहीं हो रहा है । खदान के उत्तर दिशा में आबादी, पूर्व व दक्षिण–पूर्व पर कुछ शेड स्थित है तथा उत्तर दिश में कच्चा रोड़ है । गूगल इमेज से साफ दिखता है कि खदान से लगी हुई पहाड़ी के नीचे आबादी तथा यह एक वर्जन पहाड़ी की श्रृंखला है, जिसमें खनन् कार्य होने से आबादी को प्रदूषण एवं अन्य समस्याओं का भी सामना करना होगा । इसके अलावा पहाड़ी के खनन् कार्य से Subsidence की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसका पूरी पहाड़ी की श्रृंखला में पर्यावरणीय प्रभाव पड़ने से बहुआयामी यूनिक माउटेन ईको सिस्टम प्रभावित होने की संभावना है । इसके अलावा खनन् कार्य से आसपास के भू–दृश्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहेगी ।

प्रकरण की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए ऐसे प्रकरणों में एक बार खनन् कार्य शुरू होने से पूरी पहाड़ी की श्रृंखला पर आने वाले समय में खनन् कार्य बढ़ने से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता, जिसका आबादी पर पर्यावरणीय सामाजिक प्रभाव भी पड़ेगा । उपरोक्त वस्तुस्थिति के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण आज सेक की 640वीं बैठक दिनांक 26/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

23. <u>Case No 9569/2023 Ms Shashi Bhati, R/o 220, Elora Enclave, Dayal Bagh, District-Agra (UP)-282005 Prior Environment Clearance for Bela Stone Mine in an area of 1.425 ha. (45600 cum per annum) (Khasra No. 288), Village-Bela, Tehsil-Gwalior, District-Gwalior (MP)</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 288), Village-Bela, Tehsil-Gwalior, District-Gwalior (MP) 1.425 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री शशी भाटी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 11990 दिनांक 18/11/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन अपलोड अक्षांश–देशांश के आधार पर (गूगल इमेज अनुसार खदान) इस प्रकरण के को–आर्डिनेट गूगल इमेज अनुसार 02 अन्य प्रकरणों (कमशः प्रकरण क्रमांक 9613/23 एवं 9612/23) को ओव्हरलेप/इंटरसेक्ट कर रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि की यह को–आर्डिनेट हेंड हेल्ड जी.पी.एस. डिवाईस से लिये गये है जिसके कारण त्रुटि आने की संभावना है अतः वे डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत कर देगे तथा उनको पर्यावरणीय अध्ययन हेतु टॉर दे दिया जाये ताकि समय की बचत हो सके। समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि उपरोक्त परिस्थिति में परियोजना प्रस्तावक डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट संबंधित खनिज् अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में लगभग 90 मीटर की दूरी पर रेलवे लाईन है तथा दक्षिण–पूर्व दिशा में 490 मीटर रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । समिति ने यह भी अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करले कि रेल्वे लाईन के कारण प्रतिबंधित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु आवश्यक क्षेत्र उपलब्ध होगा अथवा नही । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 11990 दिनांक 18/11/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल नहीं है, आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के उत्तर दिशा में लगभग 90 मीटर की दूरी पर रेलवे लाईन है तथा दक्षिण–पूर्व दिशा में 490 मीटर रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करले कि रेल्वे लाईन के कारण प्रतिबंधित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु आवश्यक क्षेत्र उपलब्ध होगा अथवा नही ।
2. परियोजना प्रस्तावक डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट संबंधित खनिज् अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।
3. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 11990 दिनांक 18/11/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल नहीं है, आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायेगा अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये।
5. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
11. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

सिया के पत्र क्रमांक 3161 दिनांक 21/03/23 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लांन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार खनन् क्षेत्र से 90 मीटर की दूरी पर रेल्वे लाईन परिलक्षित हो रही है एवं प्रस्तावित खदान हेत आयुक्त नगर पालिक निगम,ग्वालियर द्वारा दी गई अनापत्ति से स्पष्ट है कि उक्त खदान नगरीय सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित है । मान्नीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी की गाईडलाईन अनुसार पत्थर खनन् प्रक्रिया में ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है, जिसके परिपालन में रेलवे लाईन से निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो रहा है एवं खदान नगरीय क्षेत्र में स्थित होने की दशा में पर्यावरण अनुमति दी जा सकता है अथवा नहीं के संबंध में पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण सेक को अग्रेषित किया जाये ।

प्रकरण आज सेक की 640वीं बैठक दिनांक 26/04/23 में रखा गया जिसमें समिति ने पाया कि सेक की 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 में सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का परीक्षण किया गया था, जिसके आधार पर ही परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. हेतु टॉर की अनुशंसा की गई थी तथा उसमें खनन् क्षेत्र के आस–पास विद्यमान सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओ को ध्यान में रखते हुए निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की अनुशंसा की गई थी :–

1. खदान के उत्तर दिशा में लगभग 90 मीटर की दूरी पर रेलवे लाईन है तथा दक्षिण–पूर्व दिशा में 490 मीटर रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित कर ले कि रेल्वे लाईन के कारण प्रतिबंधित दूरी छोडने के पश्चात् खनन् हेतु आवश्यक क्षेत्र उपलब्ध होगा अथवा नही ।
2. परियोजना प्रस्तावक डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट संबंधित खनिज् अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।
3. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

समिति ने पाया कि सेक की 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने टॉर की अनुशंसा की गई थी, क्योकि की कई बार परियोजना प्रस्तावक संरक्षण योजना में शपथ–पत्र के माध्यम से ब्लास्टिंग के स्थान पर रॉक ब्रेकर के माध्यम से खनन् करने का प्रस्ताव भी देते है जिसके कारण प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर ही रह जाती है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है । इसी कारण खनन् क्षेत्र के आस–पास विद्यमान सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओ को ध्यान में रखते हुए टॉर में विशिष्ट शर्तो का उल्लेख किया जाता है जिसका समाधान कारक प्रस्ताव परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. में प्रस्तुत करना होता है । टॉर के साथ जारी एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो में भी यह उल्लेखित किया जाता है कि "Grant of TOR does not mean grant of EC". अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 में टॉर हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

24. <u>Case No 9599/2023 M/s Gajanan Mining India Pvt. Ltd., Director, Shri Durga Prasad Dixit, R/o Ward No. 22, Harshm Seva Sadan, 32 Indrapuri Colony, Near Devi Mandir, District-Tikamgarh (MP)-472001, Prior Environment Clearance for Kheriya Mrityu Stone Mine in an area of 2.203 ha. (40000 cum per annum) (Khasra No. 52), Village- Kheriya Mrityu, Tehsil-City Center, District-Gwalior (MP)</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 52), Village- Kheriya Mrityu, Tehsil-City Center, District-Gwalior (MP) 2.203 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री दुर्गा प्रसाद दीक्षित (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा,

(ऑन लाईन) एवं श्री हिमांशु जोशी, मेसर्स ओसियो इंवायरों मैनेजमेंट सॉल्यूशन इं.प्रा.लि., गाजियाबाद उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 16649 दिनांक 19/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त, नगर पालिका निगम, ग्वालियर ने पत्र क्रमांक 02/21/2/10/राजस्व, दिनांक 17/09/21 के माध्यम से खनिज पट्टा आवंटत हेतु अपनी अनापत्ति दी गई ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान का अधिकांश भाग खुदा हुआ है तथा गूगल इमेज अनुसार वर्ष 2013 से खनन् गतिविधियॉ संचालित होती दिख रही है जिस संबंध में परियोजना प्रस्तावक यह बतायें कि उनको यह खदान् इसी स्थिति में मिली है तथा 2013 से 2016 तक किसी अन्य परियोजना प्रस्तावक को आवंटित थी । खदान के पूर्व दिशा में लगभग 70 मीटर की दूरी पर, दक्षिण दिशा में 60 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़ है तथा उत्तर दिशा में 620 मीटर पर रेलवे लाइन है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । खदान के दक्षिण–पश्चिम दिशा में 75 मीटर पर पुराना सिविल स्ट्रक्चर तथा पश्चिम दिशा में 115 मीटर पर शेड स्थापित दिख रहे हैं जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुराने क्रेशर का स्ट्रक्चर है एवं पश्चिम दिशा में स्थापित शेड भी क्रेशर हेतु बनाया गया साईट ऑफिस है । आवंटित खनन् क्षेत्र के पिट में पानी भरा हुआ है, अतः डी–वाटरिंग प्लांन तथा पिट की गहराई एवं गहराई के संदर्भ में किए जाने वाले खनन् कार्य का विवरण (पिटवॉटम स्पेस के साथ) ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज नही है तथा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जायेगी अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के पूर्व दिशा में लगभग 70 मीटर की दूरी पर, दक्षिण दिशा में 60 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़ है तथा उत्तर दिशा में 620 मीटर पर रेलवे लाइन है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई. आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. आवंटित खनन् क्षेत्र के पिट में पानी भरा हुआ है, अतः डी–वाटरिंग प्लांन तथा पिट की गहराई के संदर्भ में किए जाने वाले खनन् कार्य का विवरण (पिटवॉटम स्पेस के साथ) ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
3. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज नही है तथा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जायेगी अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

सिया के पत्र क्रमांक 3150 दिनांक 21/03/23 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लांन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार खनन् क्षेत्र से 75 मीटर की दूरी पर सिविल स्ट्रक्चर परिलक्षित हो रही है एवं प्रस्तावित खदान हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम,ग्वालियर द्वारा दी गई अनापत्ति से स्पष्ट है कि उक्त खदान नगरीय सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित है । मान्नीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी की गाईडलाईन अनुसार पत्थर खनन् प्रक्रिया में ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है, जिसके परिपालन में सिविल स्ट्रक्चर से निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो रहा है एवं खदान नगरीय क्षेत्र में स्थित होने की दशा में पर्यावरण अनुमति दी जा सकता है अथवा नहीं के संबंध में पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण सेक को अग्रेषित किया जाये ।

प्रकरण आज सेक की 640वीं बैठक दिनांक 26/04/23 में रखा गया जिसमें समिति ने पाया कि सेक की 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 में सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का परीक्षण किया गया था, जिसके आधार पर ही परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. हेतु टॉर की अनुशंसा की गई थी तथा उसमें खनन् क्षेत्र के आस–पास विद्यमान सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओ को ध्यान में रखते हुए निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की अनुशंसा की गई थी :–

1. खदान के पूर्व दिशा में लगभग 70 मीटर की दूरी पर, दक्षिण दिशा में 60 मीटर की दूरी पर कच्चा रोड़ है तथा उत्तर दिशा में 620 मीटर पर रेलवे लाइन है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई. आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. आवंटित खनन् क्षेत्र के पिट में पानी भरा हुआ है, अतः डी–वाटरिंग प्लांन तथा पिट की गहराई के संदर्भ में किए जाने वाले खनन् कार्य का विवरण (पिटवॉटम स्पेस के साथ) ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
3. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

समिति ने पाया कि सेक की 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने टॉर की अनुशंसा की गई थी, क्योकि की कई बार परियोजना प्रस्तावक संरक्षण योजना में

शपथ–पत्र के माध्यम से ब्लास्टिंग के स्थान पर रॉक ब्रेकर के माध्यम से खनन् करने का प्रस्ताव भी देते है जिसके कारण प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर ही रह जाती है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है । इसी कारण खनन् क्षेत्र के आस–पास विद्यमान सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओ को ध्यान में रखते हुए टॉर में विशिष्ट शर्तो का उल्लेख किया जाता है जिसका समाधान कारक प्रस्ताव परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. में प्रस्तुत करना होता है । टॉर के साथ जारी एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो में भी यह उल्लेखित किया जाता है कि "Grant of TOR does not mean grant of EC". अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 में टॉर हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

25. <u>Case No 9612/2023 Smt. Reema Adivasi W/o Shri Halkai Adivasi, R/o Gram-Vikrampura, Post-Jatara, District-Tikamgarh (MP)-472118 Prior Environment Clearance for Bela Stone Mine in an area of 2.203 ha. (1,20,000 Cum per annum) (Khasra No. 293), Village-Bela, Tehsil-City Center, District-Gwalior (MP)</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 293), Village-Bela, Tehsil-City Center, District-Gwalior (MP) 2.203 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्रीमती रीमा आदिवासी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, (ऑन लाईन) एवं श्री हिमांशु जोशी, मेसर्स ओसियो इंवायरों मैनेजमेंट सॉल्यूशन इं.प्रा.लि., गाजियाबाद उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 11650 दिनांक 19/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त, नगर पालिका निगम, ग्वालियर ने पत्र क्रमांक 02/21/2/10/राजस्व, दिनांक 17/09/21 के माध्यम से खनिज पट्टा आवंटत हेतु अपनी अनापत्ति दी गई ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन अपलोड अक्षांश–देशांश के आधार पर (गूगल इमेज अनुसार खदान) इस प्रकरण के को–आर्डिनेट गूगल इमेज अनुसार 02 अन्य प्रकरणों (कमशः प्रकरण क्रमांक **9613/23 एवं 9569/23**) को ओव्हरलेप/इंटरसेक्ट कर रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि की यह को–आर्डिनेट हेंड हेल्ड जी.पी.एस. डिवाईस से लिये गये है जिसके कारण त्रुटि आने की संभावना है अतः वे डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत कर देगे तथा उनको पर्यावरणीय अध्ययन हेतु टॉर दे दिया जाये ताकि समय की बचत हो सके। समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि उपरोक्त परिस्थिति में परियोजना प्रस्तावक डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट संबंधित खनिज् अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 115 मीटर पर रेल्वे लाईन, दक्षिण–पूर्व दिशा में 370 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा पूर्व

दिशा में 1000 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज नही है तथा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जायेगी अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के उत्तर दिशा में 115 मीटर पर रेल्वे लाईन, दक्षिण–पूर्व दिशा में 370 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा पूर्व दिशा में 1000 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट संबंधित खनिज् अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज नही है तथा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जायेगी अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये ।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबधंन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।
11. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

सिया के पत्र क्रमांक 3203 दिनांक 24/03/23 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लांन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार खनन् क्षेत्र से 115 मीटर की दूरी

पर रेलवे लाईन परिलक्षित हो रही है एवं प्रस्तावित खदान हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम,ग्वालियर द्वारा दी गई अनापत्ति से स्पष्ट है कि उक्त खदान नगरीय सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित है । मान्नीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी की गाईडलाईन अनुसार पत्थर खनन् प्रक्रिया में ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है, जिसके परिपालन में रेलवे लाईन से निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो रहा है एवं खदान नगरीय क्षेत्र में स्थित होने की दशा में पर्यावरण अनुमति दी जा सकता है अथवा नहीं के संबंध में पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण सेक को अग्रेषित किया जाये ।

प्रकरण आज सेक की 640वीं बैठक दिनांक 26/04/23 में रखा गया जिसमें समिति ने पाया कि सेक की 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 में सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का परीक्षण किया गया था, जिसके आधार पर ही परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. हेतु टॉर की अनुशंसा की गई थी तथा उसमें खनन् क्षेत्र के आस–पास विद्यमान सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओ को ध्यान में रखते हुए निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की अनुशंसा की गई थी :–

1. खदान के उत्तर दिशा में 115 मीटर पर रेल्वे लाईन, दक्षिण–पूर्व दिशा में 370 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा पूर्व दिशा में 1000 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट संबंधित खनिज् अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।

समिति ने पाया कि सेक की 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने टॉर की अनुशंसा की गई थी, क्योकि की कई बार परियोजना प्रस्तावक संरक्षण योजना में शपथ–पत्र के माध्यम से ब्लास्टिंग के स्थान पर रॉक ब्रेकर के माध्यम से खनन् करने का प्रस्ताव भी देते है जिसके कारण प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर ही रह जाती है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है । इसी कारण खनन् क्षेत्र के आस–पास विद्यमान सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओ को ध्यान में रखते हुए टॉर में विशिष्ट शर्तो का उल्लेख किया जाता है जिसका समाधान कारक प्रस्ताव परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. में प्रस्तुत करना होता है । टॉर के साथ जारी एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो में भी यह उल्लेखित किया जाता है कि "Grant of TOR does not mean grant of EC". अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 में टॉर हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

26. <u>Case No 9613/2023 Shri Arvind Kumar, Owner, House No. 3/777, Vastu Khand-3, Gomti Nagar, District-Lucknow (UP)-226010 Prior Environment Clearance for Bela Stone Mine in an area of 7.530 ha. (250000 Cum per annum) (Khasra No. 285, 286, 289, 292), Village-Bela, Tehsil-City Center, District-Gwalior (MP)</u>

This is case of Stone Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 285, 286, 289, 292), Village-Bela, Tehsil-City Center, District-Gwalior (MP) 7.530 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अरविंद कुमार (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, (ऑन लाईन) एवं श्री हिमांशु जोशी, मेसर्स ओसियो इंवायरों मैनेजमेंट सॉल्यूशन इं.प्रा.लि., गाजियाबाद उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 11651 दिनांक 19/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार कार्यालय आयुक्त, नगर पालिका निगम, ग्वालियर ने पत्र क्रमांक 02/21/2/10/राजस्व, दिनांक 17/09/21 के माध्यम से खनिज पट्टा आवंटत हेतु अपनी अनापत्ति दी गई ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन अपलोड अक्षांश–देशांश के आधार पर (गूगल इमेज अनुसार खदान) इस प्रकरण के को–आर्डिनेट गूगल इमेज अनुसार 02 अन्य प्रकरणों (कमशः प्रकरण क्रमांक **9612/23 एवं 9569/23**) को ओव्हरलेप/इंटरसेक्ट कर रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि की यह को–आर्डिनेट हेंड हेल्ड जी.पी.एस. डिवाईस से लिये गये है जिसके कारण त्रुटि आने की संभावना है अतः वे डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत कर देगे तथा उनको पर्यावरणीय अध्ययन हेतु टॉर दे दिया जाये ताकि समय की बचत हो सके। समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि उपरोक्त परिस्थिति में परियोजना प्रस्तावक डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट संबंधित खनिज् अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 110 मीटर पर रेल्वे लाईन, दक्षिण–पूर्व दिशा में 275 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा पूर्व दिशा में 1000 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज नही है तथा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जायेगी अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के उत्तर दिशा में 115 मीटर पर रेल्वे लाईन, दक्षिण–पूर्व दिशा में 370 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा पूर्व दिशा में 1000 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट संबंधित खनिज् अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज नही है तथा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जायेगी अतः समिति ने निर्देशित किया कि ई.आई.ए. के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जाये ।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबधंन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।
11. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

सिया के पत्र क्रमांक 3155 दिनांक 21/03/23 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लांन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार खनन् क्षेत्र से 110 मीटर की दूरी पर रेलवे लाईन परिलक्षित हो रही है एवं प्रस्तावित खदान हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम,ग्वालियर द्वारा दी गई अनापत्ति से स्पष्ट है कि उक्त खदान नगरीय सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित है । मान्नीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी की गाईडलाईन अनुसार पत्थर खनन् प्रक्रिया में ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है, जिसके परिपालन में रेलवे लाईन से निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो रहा है एवं खदान नगरीय क्षेत्र में स्थित होने की दशा में पर्यावरण अनुमति दी जा सकता है अथवा नहीं के संबंध में पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण सेक को अग्रेषित किया जाये ।

प्रकरण आज सेक की 640वीं बैठक दिनांक 26/04/23 में रखा गया जिसमें समिति ने पाया कि सेक की 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 में सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का परीक्षण किया गया था, जिसके आधार पर ही परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. हेतु टॉर की अनुशंसा की गई थी तथा उसमें खनन् क्षेत्र के आस–पास विद्यमान सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओ को ध्यान में रखते हुए निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की अनुशंसा की गई थी :–

1. खदान के उत्तर दिशा में 115 मीटर पर रेल्वे लाईन, दक्षिण–पूर्व दिशा में 370 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा पूर्व दिशा में 1000 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को–आर्डिनेट संबंधित खनिज् अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर ई.आइ.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।

समिति ने पाया कि सेक की 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने टॉर की अनुशंसा की गई थी, क्योकि की कई बार परियोजना प्रस्तावक संरक्षण योजना में शपथ–पत्र के माध्यम से ब्लास्टिंग के स्थान पर रॉक ब्रेकर के माध्यम से खनन् करने का प्रस्ताव भी देते है जिसके कारण प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर ही रह जाती है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है । इसी कारण खनन् क्षेत्र के आस–पास विद्यमान सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओ को ध्यान में रखते हुए टॉर में विशिष्ट शर्तो का उल्लेख किया जाता है जिसका समाधान कारक प्रस्ताव परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. में प्रस्तुत करना होता है । टॉर के साथ जारी एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो में भी यह उल्लेखित किया जाता है कि "Grant of TOR does not mean grant of EC". अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 में टॉर हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

27. <u>Case No 9688/2023 Shri Moradhvaj Misra, Director, M/s Shri Marutaye Balaji Steels Limited, R/o 1, Hospital Street, 2nd Floor, Satyam Market, PO Princep Street, Kolkata-485001, Prior Environment Clearance for expansion of Bathia Kala Limestone Mines from 0.15 MTPA to 0.70 MTPA in an area of 107.785 ha. (0.70 MTPA) (Khasra No. 321/1. 321/2, 322, 334, 326, 331, 332 and 328)_Village-Bathia Kala, Tehsil-Raghurajnagar, District-Satna (MP)</u>

This is case of Limestone Mines. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site, (Khasra No. 321/1. 321/2, 322, 334, 326, 331, 332 and 328)_Village-Bathia Kala, Tehsil-Raghurajnagar, District-Satna (MP) 107.785 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 630वीं बैठक दिनांक 17/03/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक मोरध्वज मिश्रा, संचालक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पवन कुमार चमढ़िया उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रतिकांत मोहंती, मेसर्स अरदरा कंसल्टिंग सर्विसेस प्रा0. लि0. भुवनेश्वर (उडीसा) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि उक्त खनिज लाईम स्टोन मेजर मिनरल की श्रेणी में आता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान दो भागो मे विभक्त है, जिसका दक्षिणी भाग आबादी के समीप है एंव कुछ मकान लीज क्षेत्र के अंदर भी दिख रहे है तथा खनन् क्षेत्र के अंदर से एक पक्का रोड निकल रहा है एंव रेल्वे लाईन 100 मी. की दूरी पर उत्तर दिशा मे स्थित है। खदान के उत्तरी भाग लीज के अंदर एक तालाब है एंव उत्तर एंव उत्तर–पूर्व दिशा में आबादी क्रमशः 60 एंव 130 मी. की दूरी पर है एंव पश्चिमी दिशा में 30 मी. की दूरी पर एक जल रोकने की संरचना स्थित है। लीज क्षेत्र के समीप से पश्चिमी दिशा में एक रोड समीप से निकल रहा है तथा कन्वेयर बेल्ट भी खनन् क्षेत्र के अंदर से ही निकल रही है, अतः उपरोक्त सभी संवेदनशील संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए खान और खनिज (विकास एंव विनियमन) अधिनियम, 1957 मे वर्णित प्रावधान अनुसार इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान दोनों भागो मे कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि फार्म–2 में उल्लेखित खसरों का ऑनलाईन अपलोड पी–2 में उल्लेखित खसरों से मिलान नहीं होता है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट में वास्तविक खसरे प्रस्तुत करें। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान 2004 में श्री ओम प्रकाश बंसल को स्वीकृत हुई थी तथा 2008 में मेसर्स मारूतेय बालाजी स्टील को स्थानांतरित हुई । इसकी पर्यावरणीय स्वीकृति 2011 में प्राप्त की गई तथा म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति 2014 में प्राप्त हुई । बोर्ड से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत 2019 में खनन् विभाग से कार्य करने की अनुमति ली गई तथा खनन् कार्य 2021 में शुरू हुआ । चूँकि प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त है, अतः पूर्व में प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ईआईए के साथ प्रस्तुत करें । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि कुल आवंटित क्षेत्र 107.785 हे. में से वर्तमान में आवेदक के अधिपत्य में लगभग 13.00 हे. (शासकीय 5.60 हे. तथा निजी 7.80 हे.) ही है, अतः परियोजना प्रस्तावक ईआईए के साथ कुल आवंटित क्षेत्र 107.785 हे. में से वर्तमान में आवेदक के अधिपत्य में उपलब्ध क्षेत्र का सम्पूर्ण विवरण मय दस्तावेजों के तथा उपलब्ध क्षेत्र में अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन् किया प्रकार किया जायेगा की जानकारी ईआईए के साथ प्रस्तुत करें । आवंटित खनन् क्षेत्र में कुछ मकान / आबादी परिलक्षित हो रही है, अतः आर एण्ड आर के विवरण ईआईए के साथ प्रस्तुत किये जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान दो भागो मे विभक्त है, जिसका दक्षिणी भाग आबादी के समीप है एंव कुछ मकान लीज क्षेत्र के अंदर भी दिख रहे है तथा खनन् क्षेत्र के अंदर से एक पक्का रोड निकल रहा है एंव रेल्वे लाईन 100 मी. की दूरी पर उत्तर दिशा मे स्थित है। खदान के उत्तरी भाग लीज के अंदर एक तालाब है एंव उत्तर एंव उत्तर–पूर्व दिशा में आबादी क्रमशः 60 एंव 130 मी. की दूरी पर है एंव पश्चिमी दिशा में 30 मी. की दूरी पर एक

जल रोकने की संरचना स्थित है। लीज क्षेत्र के समीप से पश्चिमी दिशा में एक रोड समीप से निकल रहा है तथा कन्वेयर बेल्ट भी खनन् क्षेत्र के अंदर से ही निकल रही है, अतः उपरोक्त सभी संवेदनशील संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए खान और खनिज (विकास एंव विनियमन) अधिनियम, 1957 मे वर्णित प्रावधान अनुसार इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत करें।

2. प्रश्नाधीन खदान दोनों भागो मे कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. फार्म–2 में उल्लेखित खसरों का ऑनलाईन अपलोड पी–2 में उल्लेखित खसरों से मिलान नहीं होता है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट में वास्तविक खसरे प्रस्तुत करें।
4. कुल आवंटित क्षेत्र 107.785 हे. में से वर्तमान में आवेदक के अधिपत्य में लगभग 13.00 हे. (शासकीय 5.60 हे. तथा निजी 7.80 हे.) ही है, अतः परियोजना प्रस्तावक ईआईए के साथ कुल आवंटित क्षेत्र 107.785 हे. में से वर्तमान में आवेदक के अधिपत्य में उपलब्ध क्षेत्र का सम्पूर्ण विवरण मय दस्तावेजों के तथा उपलब्ध क्षेत्र में अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन् किया प्रकार किया जायेगा की जानकारी ईआईए के साथ प्रस्तुत करें ।
5. आवंटित खनन् क्षेत्र में कुछ मकान / आबादी परिलक्षित हो रही है, अतः आर एण्ड आर के विवरण ईआईए के साथ प्रस्तुत किये जाये ।
6. चूँकि प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त है, अतः पूर्व में प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ईआईए के साथ प्रस्तुत करें ।
7. प्रश्नाधीन खदान दोनों भागो मे कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
8. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
10. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
12. भूमि का वर्तमान लैंड यूज (यदि शासकीय भूमि है तो) क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबधंन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

सिया की 779वीं बैठक दिनांक 10/4/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लांन के अशांश–देशांश अनसुार प्रस्तावित खदान के दक्षिण भाग में खदान के पास व लीज एरिया के अंदर आबादी,100 मीटर पर रेल्वे लाईन, खदान के बीच से कन्वेयर बेल्ट, उत्तरी भाग में खदान के अंदर एक तालाब, खदान के समीप कच्ची सड़क व प्राकृतिक नाला परिलक्षित है । उपरोक्त पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण को MoEF&CC, GOI के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक

29/10/2014 एवं इसके बाद जारी संशोधित आदेशों तथा मान्नीय न्यायालयों एवं मान्नीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेशों/दिशा–निर्देशों के अनुरूप पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण आज सेक की 640वीं बैठक दिनांक 26/04/23 में रखा गया जिसमें समिति ने पाया कि सेक की 630वीं बैठक दिनांक 17/03/23 में सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का परीक्षण किया गया था, जिसके आधार पर ही परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. हेतु टॉर की अनुशंसा की गई थी तथा उसमें खनन् क्षेत्र के आस–पास विद्यमान सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओ को ध्यान में रखते हुए निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की अनुशंसा की गई थी :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान दो भागो मे विभक्त है, जिसका दक्षिणी भाग आबादी के समीप है एंव कुछ मकान लीज क्षेत्र के अंदर भी दिख रहे है तथा खनन् क्षेत्र के अंदर से एक पक्का रोड निकल रहा है एंव रेल्वे लाईन 100 मी. की दूरी पर उत्तर दिशा मे स्थित है। खदान के उत्तरी भाग लीज के अंदर एक तालाब है एंव उत्तर एंव उत्तर–पूर्व दिशा में आबादी क्रमशः 60 एंव 130 मी. की दूरी पर है एंव पश्चिमी दिशा में 30 मी. की दूरी पर एक जल रोकने की संरचना स्थित है। लीज क्षेत्र के समीप से पश्चिमी दिशा में एक रोड समीप से निकल रहा है तथा कन्वेयर बेल्ट भी खनन् क्षेत्र के अंदर से ही निकल रही है, अतः उपरोक्त सभी संवेदनशील संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए खान और खनिज (विकास एंव विनियमन) अधिनियम, 1957 मे वर्णित प्रावधान अनुसार इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत करें।
2. प्रश्नाधीन खदान दोनों भागो मे कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. फार्म–2 में उल्लेखित खसरों का ऑनलाईन अपलोड पी–2 में उल्लेखित खसरों से मिलान नहीं होता है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट में वास्तविक खसरे प्रस्तुत करें।
4. कुल आवंटित क्षेत्र 107.785 हे. में से वर्तमान में आवेदक के अधिपत्य में लगभग 13.00 हे. (शासकीय 5.60 हे. तथा निजी 7.80 हे.) ही है, अतः परियोजना प्रस्तावक ईआईए के साथ कुल आवंटित क्षेत्र 107.785 हे. में से वर्तमान में आवेदक के अधिपत्य में उपलब्ध क्षेत्र का सम्पूर्ण विवरण मय दस्तावेजों के तथा उपलब्ध क्षेत्र में अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन् किया प्रकार किया जायेगा की जानकारी ईआईए के साथ प्रस्तुत करें ।
5. आवंटित खनन् क्षेत्र में कुछ मकान / आबादी परिलक्षित हो रही है, अतः आर एण्ड आर के विवरण ईआईए के साथ प्रस्तुत किये जाये ।
6. चूँकि प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त है, अतः पूर्व में प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ईआईए के साथ प्रस्तुत करें ।
7. प्रश्नाधीन खदान दोनों भागो मे कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

समिति ने पाया कि सेक की 630वीं बैठक दिनांक 17/03/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने टॉर की अनुशंसा की गई थी जिसमें परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. के साथ संरक्षण योजना प्रस्तुत करनी होती है जिसके आधार पर समिति द्वारा अनुशंसाये की जाती है । इसी कारण खनन् क्षेत्र के आस–पास विद्यमान सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओ को ध्यान में रखते हुए टॉर में विशिष्ट शर्तो का उल्लेख किया जाता है जिसका समाधान कारक प्रस्ताव परियोजना प्रस्तावक को ई. आई.ए. में प्रस्तुत करना होता है । टॉर के साथ जारी एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो में भी यह उल्लेखित किया जाता है कि "Grant of TOR does not mean grant of EC". अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक 630वीं बैठक दिनांक 17/03/23 में टॉर हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any

damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.

20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
   - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
   - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
   - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
   - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
   - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
   - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
   - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर